19

ग्रामीण विकास मंत्रालय

विभिन्न योजनाओं में दिशा समिति की भूमिका और प्रदर्शन की समीक्षा

प्राक्कलन समिति
(2022-23)

उन्नीसवाँ प्रतिवेदन

(सत्रहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

उन्नीसवाँ प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति
(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

ग्रामीण विकास मंत्रालय

विभिन्न योजनाओं में दिशा समिति की भूमिका और प्रदर्शन की समीक्षा

(20 दिसंबर**,** 2022 **को** लोकसभा में प्रस्तुत किया गया**)**

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

..... दिसंबर 2022/अग्रहायण..... 1944(शक**)**

विषय सूची

पृष्ठ

प्राक्कलन समिति (2020-21) की संरचना ..... (ii)
प्राक्कलन समिति (2021-22) की संरचना ..... (iii)
प्राक्कलन समिति (2021-22) की संरचना ..... (iv)
प्राक्कथन ..... (vi)

भाग एक

प्रस्तावना 1

भाग दो

सिफारिशों/टिप्पणियों 42

अनुबंध

दिनांक 13.07.2021 को आयोजित समिति की बैठक का कार्यवृत्त 58

दिनांक 22.06.2022 को आयोजित समिति की बैठक का कार्यवृत्त 61

दिनांक 14.12.2022 को आयोजित समिति की बैठक का कार्यवृत्त 64

<u>प्राक्कलन समिति का संरचना (2020-21)</u>

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट – सभापति

सदस्य

2. कुंवर दानिश अली
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री प्रदान बरूआ
5. श्री सुदर्शन भगत
6. श्री अजय भट्ट
7. श्री पी.पी. चौधरी
8. श्री नंद कुमार सिंह चौहान
9. श्री निहाल चंद चौहान
10. श्री पी.सी. गद्दीगौद
11. डॉ संजय जायसवाल
12. श्री धर्मेंद्र कुमार कश्यप
13. श्री मोहनभाई कुंडारिया
14. श्री दयानिधि मारन
15. श्री पिनाकी मिश्रा
16. श्री के मुरलीधरन
17. श्री एस.एस पलानीमणिक्कम
18. श्री कमलेश पासवान
19. डॉ के.सी. पटेल
20. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़
21. श्री विनायक भाऊराव राऊत
22. श्री अशोक कुमार रावत
23. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी
24. श्री राजीव प्रताप रूडी
25. श्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हा
26. श्री जुगल किशोर शर्मा
27. श्री प्रताप सिम्हा
28. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव
29. श्री केसिनेनी श्रीनिवास
30. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा

प्राक्कलन समिति का गठन (2021-2022)

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट – सभापति

सदस्य

2. कुंवर दानिश अली
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री सुदर्शन भगत
5. श्री पी.पी. चौधरी
6. श्री निहाल चंद चौहान
7. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव
8. श्री हरीश द्विवेदी
9. श्री पी.सी. गद्दीगौदर
10. डॉ संजय जायसवाल
11. श्री धर्मेंद्र कुमार कश्यप
12. श्री मोहनभाई कुंडारिया
13. श्री दयानिधि मारन
14. श्री पिनाकी मिश्रा
15. श्री के मुरलीधरन
16. श्री जुएल ओराम
17. श्री एस.एस पलानीमणिक्कम
18. श्री कमलेश पासवान
19. डॉ के.सी. पटेल
20. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़
21. श्री विनायक भाऊराव राऊत
22. श्री अशोक कुमार रावत
23. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी
24. श्री राजीव प्रताप रूडी
25. श्री दिलीप शइकीया
26. श्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हा
27. श्री जुगल किशोर शर्मा
28. श्री प्रताप सिम्हा
29. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
30. श्री केसिनेनी श्रीनिवास

** बुलेटिन भाग-2 नंबर 2897 दिनांक 29.07.2021 के माध्यम से प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित।

प्राक्कलन समिति की संरचना (2022-2023)

श्री गिरीश भालचंद्र बापट - सभापति

2. कुँवर दानिश अली
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री सुदर्शन भगत
5. श्री पी.पी. चौधरी,
6. श्री निहाल चंद चौहान
7. श्री हरीश द्विवेदी
8 श्री पर्वतगौड़ा चंदनगौड़ा गद्दीगौदर
9. डॉ. संजय जायसवाल
10. श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप
11. श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंदरिया
12. श्री पिनाकी मिश्रा
13. श्री के. मुरलीधरन
14. श्री जुआल ओराम
15. श्री कमलेश पासवान
16. डॉ. के.सी. पटेल
17. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर
18. श्री विनायक भाऊराव राउत
19. श्री अशोक कुमार रावत
20. श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी
21. श्री राजीव प्रताप रूडी
22. श्री दिलीप शइकीया
23. श्री फ्रांसिस्को कॉसमे सरदिन्हा
24. श्री जुगल किशोर शर्मा
25. श्री प्रताप सिम्हा
26. श्री परवेश साहिब सिंह
27. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव
28. श्री केसिनेनी श्रीनिवास (नानी)
29. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
30. श्री श्याम सिंह यादव

सचिवालय

1.	श्रीमती अनीता बी. पांडा	-	अपर सचिव
2.	श्री मुरलीधरन. पी	-	निदेशक
3.	श्री आर.सी. शर्मा	-	अपर निदेशक
4.	श्री श्रीकान्त सिंह आर.	-	सहायक समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, प्राक्कलन समिति का सभापति, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर ''विभिन्न स्कीमों में दिशा समिति की भूमिका और कार्यनिष्पादन'' विषय संबंधी 19th प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) का गठन त्वरित विकास हेतु साझा लक्ष्य प्राप्ति के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के विकास संबंधी कार्यक्रमों की निगरानी और दिशानिर्देश के अधिदेश के साथ 27 जुलाई, 2016 को किया गया था। दिशा समितियां निर्धारित प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों के अनुसार 76 केन्द्रीय स्कीमों के कार्यान्वयन की निगरानी करती हैं तथा अधिक प्रभाव हेतु सहक्रिया और अभिसरण को बढ़ावा देती हैं। इन समितियों को सुविधा प्रदाता और समर्थकारी निकाय माना जाता है जो एक बेहतर वार्ता के माध्यम से स्थानीय बाधाओं और कठिनाइयों को दूर करती हैं। दिशा प्रमुख केन्द्रीय स्कीमों की तिमाही समीक्षा के माध्यम से उन उद्देश्यों को पाना चाहती है जिन्हें इन दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्यों की अध्यक्षता में कार्यशील बनाया गया है।

3. प्राक्कलन समिति (2021-22) ने गहन जांच करने और सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए ''विभिन्न स्कीमों में दिशा समिति की भूमिका और कार्यनिष्पादन' विषय का चयन किया। प्राक्कलन समिति (2022-23) ने इस विषय की जांच संबंधी कार्य जारी रखा।

4. इस प्रतिवेदन में समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ दिशा समितियों को सांविधिक दर्जा देने हेतु विधान लाने की व्यवहार्यता, राज्य स्तरीय दिशा समितियों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों, दिशा के अंतर्गत और अधिक स्कीमों को शामिल करने की आवश्यकता, बैठकों में राज्य सरकार के अधिकारियों की भागीदारी, दिशा बैठकों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना आदि से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया है। समिति ने प्रतिवेदन में इन मुद्दों/बिंदुओं का विस्तार से विश्लेषण किया है और टिप्पणियां/ सिफारिशें की हैं

5. समिति ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए दिनांक 13.07.2021 और 22.06.2022 को बैठकें की। इस विषय की जांच के संबंध में समिति ने तीन तत्स्थानिक अध्ययन दौरे भी किये; धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश (24.09.2021), इम्फाल, मणिपुर (29.09.2021) और कुमाराकोम, केरल (25.04.2022)। समिति ने दिनांक 14.12.2022 को हुई अपनी बैठक में इस विषय से संबंधित प्रारूप प्रतिवेदन को विचारोपरांत स्वीकार किया।

6. समिति, समिति के समक्ष उपस्थित होने और विषय के संबंध में अपनी सुविचारित राय रखने तथा विषय की जांच के संबंध में अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करती है।

7. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों/ सिफारिशों को प्रतिवेदन के भाग दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली; **गिरीश भालचन्द्र बापट**

14 दिसम्बर, 2022 **सभापति**

23 अग्रहायण,1944 (शक) **प्राक्कलन समिति**

प्रतिवेदन

भाग एक

प्राक्कथन

भारत सरकार द्वारा बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जिनमें जमीनी स्तर पर विकासात्मक प्रभाव देने की क्षमता है। इन विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के मार्गदर्शन और गहन निगरानी को यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू माना गया था कि विकासात्मक कार्यक्रमों का लाभ जनता तक पहुंचे इसलिए, सरकार ने संबंधित संसद सदस्य को अध्यक्ष और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों, अधिकारियों/गैर-अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखने के लिए एक जिला स्तरीय समिति का गठन करना आवश्यक समझा, जो बढ़ी हुई सामुदायिक भागीदारी और जवाबदेही के साथ सभी क्षेत्रों का त्वरित विकास सुनिश्चित करेगी। चूंकि ग्रामीण विकास कार्यक्रम की निगरानी के लिए माननीय संसद सदस्यों की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास मंत्रालय में पहले से ही जिला स्तर पर सतर्कता और निगरानी समिति की एक समान प्रणाली थी, इसलिए ग्रामीण विकास के दायरे से बाहर के क्षेत्रों को कवर करने के लिए सतर्कता और निगरानी समिति का विस्तार करने का निर्णय लिया गया था. इस प्रकार, ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के तंत्र को दिनांक 27 जून, 2016 से जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) में परिवर्तित कर दिया गया था। इसलिए, दिशा के पास त्वरित विकास के साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मार्गदर्शन करने का एक बढ़ा हुआ अधिदेश है।

दिशा के उद्देश्य

1.2 समिति को यह सूचित किया गया है कि दिशा निर्धारित प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करती है और अधिक प्रभाव के लिए तालमेल और अभिसरण को बढ़ावा देती है। उन्हें एक सुविधाजनक और सक्षम निकाय के रूप में माना जाता है जो एक संरचित संवाद के माध्यम से स्थानीय बाधाओं और कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम है। इस अनूठी व्यवस्था के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं जिन्हें प्राप्त किये जाने की परिकल्पना की गई है:

- चिन्हित प्रमुख केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों/स्कीमों की गहन निगरानी करना। कार्यान्वयन के दौरान इसकी देखरेख के लिए पहचानी गई प्राथमिकताओं पर आवश्यक ध्यान दिया जाता है।
- कार्यक्रम/योजना से जुड़े दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
- जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन बाधाओं, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए समन्वित समाधान की सुविधा प्रदान करना.
- अंतराल की पहचान करें और मध्यमार्गी सुधार का सुझाव दें.
- सार्वभौमिक कवरेज के उद्देश्य से सामाजिक क्षेत्र की पहलों की सुपुर्दगी में समयबद्धता सुनिश्चित करना.

1.3 इसके अलावा, सहभागी शासन को बढ़ावा देने की पहल के रूप में, दिशा (i) दिशा द्वारा प्रमुख केंद्रीय योजनाओं की त्रैमासिक समीक्षा जिन्हें दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्यों की अध्यक्षता में कार्यात्मक बनाया गया है और (ii) शासन के विभिन्न परतों में तालमेल लाना के माध्यम से उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

दिशा की संरचना

1.4 जहां तक दिशा की संरचना का संबंध है, यह सूचित किया गया है कि दिशा का अध्यक्ष जिले से निर्वाचित संसद सदस्य (लोकसभा) है और जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त सदस्य सचिव हैं। विधान सभा सदस्यों (एमएलए), पंचायत राज संस्थाओं (पीआरआई) के प्रतिनिधियों, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार सरकारी पदाधिकारियों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों को भी सदस्यों के रूप में दिशा में प्रतिनिधित्व दिया गया है।

दिशा के अध्यक्ष, सह-अध्यक्ष, सदस्य सचिव और अन्य सदस्यों के नामांकन के लिए मानदंड

1.5 ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अध् यक्ष के नामांकन के लिए मानदंड निम्नानुसार दिए गए हैं:-

(ii) जहां जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले एक से अधिक संसद सदस्य (लोकसभा) हैं, वहां सबसे वरिष्ठ संसद सदस्य (लोकसभा) को अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाना चाहिए। तथापि, गृह मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित अग्रता अधिपत्र का पालन किया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप अपवाद हो सकते हैं।

(ii) यदि जिले में एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (लोकसभा) इसके क्षेत्र हैं और वरिष्ठतम संसद सदस्य (लोकसभा) को किसी अन्य जिले में दिशा का अध्यक्ष बनाया जाता है, तो अगला सबसे वरिष्ठ संसद सदस्य (लोकसभा) अध्यक्ष होना चाहिए।

(iii) समान वरिष्ठता के मामले में, अध्यक्ष संसद सदस्य होना चाहिए जिसके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जिले का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र आता है।

जहां तक सह-अध्यक्ष के नामांकन का संबंध है, मानदंड निम्नानुसार दिए गए हैं:

(क) जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य संसद सदस्यों (लोकसभा) को सह-अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाना चाहिए।

(ख) राज्यसभा संसद सदस्य: एक संसद सदस्य (राज्य सभा) राज्य का प्रतिनिधित्व करता है और उस जिले की जिला स्तरीय समिति (पहले आओ पहले आओ के आधार पर) के साथ जुड़ने के विकल्प का उपयोग करता है, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सह-अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा।

टिप्पण: यदि राज्यसभा से संसद सदस्य गृह मंत्रालय द्वारा बनाए गए अग्रता अधिपत्र का पालन करते हुए वरिष्ठ है, तो उसे समिति का अध्यक्ष बनाया जाये।

सदस्य सचिव के नामांकन के मानदंडों के संबंध में, यह कहा गया है कि दिशा का सदस्य सचिव जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त होना चाहिए, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां केंद्र सरकार द्वारा विशिष्ट छूट दी गई है। बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त सीईओ जिला परिषद या वरिष्ठ एडीएम को एक विशेष बैठक के लिए सदस्य सचिव के रूप में अधिकृत कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिशा की बैठकें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएं।

इसके अलावा, जिला स्तर के दिशा के अन्य सदस्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) जिले से निर्वाचित राज्य विधान सभा के सभी सदस्य

(ii) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का एक प्रतिनिधि

(ii) सभी महापौरों/नगर पालिकाओं के अध्यक्ष (कम से कम एक महिला सहित) और ग्राम पंचायत के पांच निर्वाचित प्रमुख (दो महिलाओं सहित) को समिति में अध्यक्ष और अन्य संसद सदस्यों द्वारा नामित किया जाएगा।

(iv) जिला पंचायत के अध्यक्ष

(v) अनुसूची VI क्षेत्रों वाले जिलों में स्वायत्त जिला परिषद के प्रमुख

(vi) जिले में इंटरमीडिएट पंचायतों के सभी अध्यक्ष।

(vii) जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(viii) परियोजना निदेशक, डीआरडीए/गरीबी उन्मूलन इकाई

(ix) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार निम्नलिखित श्रेणियों से समिति के सदस् य के रूप में 4 सदस्यों को नामित कर सकता है:

क. क्षेत्र/जिले में सामाजिक आर्थिक विकास का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले सामाजिक, शैक्षणिक या सार्वजनिक क्षेत्रों से जिले के प्रख्यात व्यक्ति।

ख. क्षेत्र/जिले में सामाजिक-आर्थिक विकास के क्षेत्र में जिले/क्षेत्र में कार्यरत सिविल सोसाइटी संगठन का प्रख्यात व्यक्ति/पदाधिकारी।

ग. वरिष्ठ नागरिक श्रेणी (60 वर्ष से अधिक आयु) में प्रख्यात व्यक्ति बशर्ते कि, उपरोक्त व्यक्तियों में से कम से कम एक महिला होगी और; उपर्युक्त व्यक्तियों में से कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी से होगा, बशर्ते कि समिति के सदस्य के रूप में इन व्यक्तियों की निरंतरता ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के विवेक पर होगी।

(x) प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन से एक सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा और समिति में अन्य संसद सदस्य

(xi) समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के एक-एक प्रतिनिधि को अध्यक्ष और अन्य संसद सदस्यों द्वारा नामित किया जाएगा।

(xii) जिले के प्रमुख बैंक अधिकारी।

(xiii) डाक विभाग के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक।

(xiv) दिशा के दायरे में आने वाले सभी कार्यक्रमों के जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी।

दिशा के विचारार्थ विषय

1.6 ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दिशा के विचारार्थ विषयों के बारे में निम्नानुसार सूचित किया है:

(i) सुनिश्चित करें कि सभी कार्यक्रम, कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किए जाते हैं।

(ii) किसी भी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए समन्वित समाधान की सुविधा प्रदान करना

(iii) डीपीसी द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के सुचारू कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करना

(iv) प्राथमिकताओं को तेजी से लागू करने के लिए भूमि और स्थान के प्रावधान से संबंधित मामलों का समाधान करना।

(v) सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बारे में डीपीसी का मार्गदर्शन करना और जिले के परिवर्तन के लिए उनका लाभ कैसे उठाया जा सकता है।

(vi) उद्देश्यों की समय पर प्राप्ति के लिए संसद, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय सरकारों में अनुवर्ती कार्रवाई के लिए मुद्दों की पहचान करना।

(vii) सार्वभौमिक कवरेज के लिए सभी समयबद्ध राष्ट्रीय पहलों की गहन निगरानी करना।

(viii) अनुमोदित कार्यक्रमों के डिजाइन में सुधार की सिफारिश करना और कार्यान्वयन संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए मध्यमार्गी सुधार का सुझाव देना।

(ix) लाभार्थियों के गलत चयन, निधियों के दुर्विनियोजन/विपथन की शिकायतों सहित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संबंध में प्राप्त शिकायतों/कथित असमानताओं की जांच करना और अनुवर्ती कार्रवाई की सिफारिश करना। समिति के पास इस प्रयोजन के लिए किसी भी रिकॉर्ड को बुलाने और निरीक्षण करने का अधिकार होना चाहिए। समिति किसी भी मामले को जांच के लिए जिला कलेक्टर, जिला पंचायत के सीईओ/डीआरडीए (या गरीबी उन्मूलन इकाई)

के परियोजना निदेशक को भेज सकती है या उन नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई करने का सुझाव दे सकती है जिन पर उनके द्वारा 30 दिनों के भीतर कार्रवाई की जानी चाहिए।

(x) आवंटित निधियों, केंद्र और राज्य दोनों द्वारा जारी की गई निधियों, प्रत्येक योजना के तहत उपयोग और अव्ययित शेष राशि सहित निधियों के प्रवाह की बारीकी से समीक्षा करना।

दिशा के तहत कवर की गई योजनाएं

2.1 समिति को यह सूचित किया गया है कि जिला स्तर के दिशा के पास भारत सरकार की सभी गैर-सांविधिक योजनाओं की निगरानी करने का अधिदेश है। दिशा बैठकों के परिणामों को अनुकूलित करने और निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए डाटा संचालित शासन समाधान बनाने की दृष्टि से, दिशा डैशबोर्ड को विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं के संबंध में सूचना के एकल स्रोत के रूप में शुरू किया गया है। वर्तमान में, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न भौगोलिक बारीकियों जैसे जिला, ग्राम पंचायत, ब्लॉक और गांवों की प्रशासनिक सीमाओं के साथ निम्नलिखित 47 योजनाओं को वास्तविक समय डाटा प्रदर्शन के लिए दिशा डैशबोर्ड के साथ एकीकृत किया गया है:

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)
2. दीन दयाल अंत्योदय योजना - एनआरएलएम
3. दीन दयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)
4. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)
5. राष् ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी
6. प्रधानमंत्री आवास योजना (सभी के लिए आवास - शहरी)
7. प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)
8. स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)
9. स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण (एसबीएम- जी)
10. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)
11. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) – एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)
12. डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी)
13. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

14. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन - राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (एनआरयूएम)
15. विरासत शहर विकास और विस्तार योजना (हृदय)
16. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)
17. स्मार्ट सिटी मिशन
18. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)
19. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)
20. सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए))
21. समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस)
22. मध्याह्न भोजन योजना
23. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)
24. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)
25. डिजिटल इंडिया – पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम – प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामान्य सेवा केंद्र प्रदान करना
26. बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्यक्रम जैसे दूरसंचार, रेलवे, राजमार्ग, जलमार्ग, खान आदि।
27. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई)
28. एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस)
29. अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) स्कीम
30. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई))
31. परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
32. मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी)
33. ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम)
34. पीएमकेएसवाई (एचकेकेपी)
35. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
36. कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम
37. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)
38. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)
39. सुगम्य भारत अभियान
40. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
41. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन
42. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस)
43. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
44. संसाधन योजना का अव्यपगत केंद्रीय पूल

45. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना
46. जल मार्ग विकास परियोजना
47. सामान्य सेवा केंद्र

2.2 ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह बताया है कि दिशा-डैशबोर्ड में मौजूदा 47 योजनाओं में 29 नई अतिरिक्त योजनाओं को शामिल किया गया है और शामिल की गई 29 नई योजनाएं निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	योजना का नाम	स्थिति
1-47	24 विभागों की योजनाएं	12 मई 2022 तक शामिल की गई
48.	खेलो इंडिया (युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय)	मई माह 2022 में शामिल की गई
49.	समग्र शिक्षा अभियान (शिक्षा मंत्रालय)	
50.	पीकेवीवाई (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय)	
51.	जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर ऑफ डब्ल्यूबी) (जल शक्ति मंत्रालय)	
52.	सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) योजनाएं (जल शक्ति मंत्रालय)	
53.	पीएमकेएसवाई - हर खेत को पानी (एचकेकेपी) – भूजल (जीडब्ल्यू) (जल शक्ति मंत्रालय)	
54.	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)	
55.	सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना 2011 डेटा सेट (एमओआरडी)	जून माह 2022 में शामिल की गई
56.	सांसद आदर्श ग्राम योजना- एसएजीवाई (एमओआरडी)	
57.	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना -पीएमएमवीवाई (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)	
58.	बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)	
59.	समर्थ योजना (वस्त्र मंत्रालय)	
60.	नया सवेरा (अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यर्थियों/विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना) (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय)	
61.	पढ़ो परदेश - अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज राजसहायता योजना (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय)	
62.	नई उड़ान (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय)	
63.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय)	
64.	एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) (विद्युत मंत्रालय)	जुलाई, 2022 में शामिल की गई
65.	महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)	
66.	उत्तर पूर्वी राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम (एनईएसआरआईपी) (उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय)	

67.	दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र (यूडीआईडी) (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)	
68.	सुगम्य भारत अभियान: एक्सेसिबल इंडिया कैम्पेन (एआईसी) (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)	
69.	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) (पंचायती राज मंत्रालय)	
70.	स्वामित्व योजना (पंचायती राज मंत्रालय)	
71.	राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) (पशुपालन और डेयरी विभाग)	
72	राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) (पशुपालन और डेयरी विभाग)	
73	**राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्तपोषण सुविधा**	अगस्त, 2022 में शामिल की गई
74	**राष्ट्रीय पशुधन मिशन**	
75	**एग्री क्लिनिक और एग्री व्यवसाय केंद्र**	
76	**कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी**	

2.3 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सांविधिक प्रकृति की और अधिक योजनाओं, जिनके लिए विभिन्न जिलों को निधियां हस्तांतरित की जा रही हैं और उन्हें अद्यतन दिशा डैशबोर्ड के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, को शामिल करने की व्यवहार्यता के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि विधि कार्य विभाग की सलाह के अनुरूप सांविधिक योजनाओं की निगरानी को दिशा के दायरे से बाहर रखा गया है। सांविधिक योजनाओं की कार्यान्वयन प्रक्रियाएं इसके संविधियों द्वारा निर्देशित होती हैं। तथापि, मंत्रालय गैर-सांविधिक स्कीमों के लिए भारत सरकार के अन्य सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय कर रहा है ताकि उनकी गैर-सांविधिक स्कीमों को दिशा डैशबोर्ड में शामिल करने की व्यवहार्यता का पता लगाया जा सके। प्राय: मंत्रालय/विभाग दिशा डैशबोर्ड में अपनी योजनाओं को शामिल करने के लिए आगे आ रहे हैं। प्रारंभ में, दिशा द्वारा निगरानी की जाने वाली योजनाओं की सूची में 28 योजनाओं को शामिल किया गया था। कुछ समय बाद, विभिन्न मंत्रालयों से अनुरोध प्राप्त होने पर, अन्य योजनाओं को शामिल किया गया। वर्तमान में, डैशबोर्ड में 76 योजनाएं शामिल हैं।

राज्य स्तरीय दिशा और शहरी जिलों में दिशा का गठन

2.4 समिति को बताया किया गया है कि जिला स्तरीय दिशा की सफलता को ध्यान में रखते हुए, राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दिशा का गठन मई 2019 में किया गया था, ताकि शीर्ष स्तर पर ध्यान और समन्वय के अभाव में महत्वपूर्ण और आकस्मिक मुद्दों के समाधान को सुकर बनाया जा सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिनांक 17 फरवरी 2021 के पत्र के माध्यम से 199 माननीय सांसदों के मनोनयन के साथ राज्य स्तरीय दिशा का पुनर्गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, शहरी जिलों अर्थात जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियों (डीएलवीएमसी) में दिशा, जो शहरी जिलों में पूरी तरह से प्रचालन में नहीं थीं, को भी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं की निगरानी के लिए दिशा के रूप में कार्यात्मक बनाया गया है। तदनुसार, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई और कोलकाता के शहरी जिलों में दिशा का गठन किया गया है।

2.5 दिशा के लिए विभिन्न आईटी पहलों का विवरण नीचे दिया गया है:

एक. अत्याधुनिक दिशा डैशबोर्ड की तैनाती: दिशा समीक्षा तंत्र से परिणामों को अनुकूलित करने की दृष्टि से, दिशा डैशबोर्ड की संकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य दिशा के तहत विभिन्न योजनाओं के कई मापदंडों की योजना, निगरानी और मूल्यांकन के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए डाटा संचालित कामकाज समाधान बनाना है। दिशा डैशबोर्ड को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 11 अक्टूबर 2017 को दिशा निगरानी प्रणाली में शामिल विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में सूचना के एकल स्रोत के रूप में शुरू किया गया था। वर्तमान में, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न भौगोलिक बारीकियों जैसे जिला, ग्राम पंचायत, ब्लॉक और गांवों की प्रशासनिक सीमाओं के साथ 44 योजनाओं को दिशा डैशबोर्ड पर रियल टाइम डेटा डिस्प्ले के लिए एपीआई के माध्यम से शामिल किया गया है।

दो. मीटिंग मेनेजमेंट सॉफ्टवेयर: मीटिंग मेनेजमेंट सॉफ्टवेयर जिसे दिशा बैठकों के उद्देश्य से 3 जिलों में शुरू किया गया है, को दिशा डैशबोर्ड के साथ एकीकृत करने की योजना बनाई गई है ताकि दिशा बैठकों की कार्यवाही की योजना, ढ़ांचा और रिकॉर्ड और उनकी निगरानी कर सके।

तीन. संचार के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास: पेपरलेस कामकाज की दिशा में एक और कदम के रूप में, इस मंत्रालय ने माननीय संसद सदस्यों से सभी संचारों को डिजिटल फॉर्मेट में सीधे ग्रामीण विकास मंत्रालय को अग्रेषित करने के लिए एक नई कार्यक्षमता विकसित की है। दिशा के अध्यक्ष/सदस्य सचिव अब यूआरएल http://DISHAcloud.nic.in/form पर दिशा/अन्य पत्राचार में सिविल सोसायटी के गैर-अधिकारी सदस्यों के लिए पत्र/सिफारिश कम से कम विवरण दर्ज करके और पत्र/दस्तावेज की स्कैन कॉपी अपलोड करके अपलोड कर सकते हैं।

चार. तेजी से संचार के लिए सामाजिक मीडिया मंच: ग्रामीण विकास मंत्रालय से महत्वपूर्ण संचार के त्वरित प्रसार और राज्यों में आयोजित राज्य दिशा बैठक की जानकारी लेने के लिए एक 'राज्य दिशा बैठक' सोशल मीडिया ग्रुप बनाया गया है। इसी प्रकार, जिलों और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच महत्वपूर्ण सूचना के आदान-प्रदान के लिए 31 राज्यवार सोशल मीडिया ग्रुप भी बनाए गए हैं।

2.6 इस संबंध में की गई अन्य पहल निम्नानुसार हैं:

एक. पहली बार निर्वाचित संसद सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन - दिशा पहल को सुदृढ़ करने के लिए पहली बार निर्वाचित संसद सदस्यों को दिशा निगरानी प्रणाली से परिचित कराने के लिए 3 दिसंबर 2019 को दिशा पर एक प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। माननीय संसद सदस्यों को प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा हाल ही में की

गई पहलों के बारे में बताया गया। सभी संसद सदस्यों को दिशा डैशबोर्ड की विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताया गया।

दो. दिशा मॉनिटरिंग सेल का गठन: 3 दिसंबर, 2019 को आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम के दौरान संसद सदस्यों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, दिशा के प्रभावी, समयबद्ध और परिणाम-उन्मुख कार्य को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के भीतर दिशा निगरानी प्रकोष्ठ बनाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, दिशा बैठकों के नियमित संचालन और दिशा बैठकों में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए राज्य नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

तीन. दिशा से संबंधित मामले के लिए राज्य नोडल अधिकारी का पदनाम: राज्य में नियमित दिशा बैठकें आयोजित करने, बैठकों की कार्यवाही प्रस्तुत करने और बैठक में लिए गए निर्णय पर अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए, राज्य के प्रमुख सचिव/सचिव ग्रामीण विकास विभाग को दिशा से संबंधित मामलों के लिए राज्य नोडल अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

चार. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिशा का आयोजन: कोविड-19 के प्रकोप के कारण महामारी जैसी स्थितियों के मद्देनजर दिशा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तदनुसार, मंत्रालय ने राज्यों को ऑडियो/वीडियो मोड के माध्यम से दिशा बैठकें आयोजित करने की सलाह दी क्योंकि ये बैठकें एक ऐसा मंच प्रदान करती हैं जहां उपयुक्त जिला विशिष्ट रणनीति, विभिन्न कार्यक्रमों के तहत उपलब्ध सहायता, नीति संदर्भ और महत्व के अन्य मुद्दों पर कोविड के प्रभाव को कम करने के संदर्भ में चर्चा की जा सकती है।

पांच. राज्य स्तरीय दिशा में संसद सदस्यों के मनोनयन के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन: राज्य स्तरीय दिशा को और अधिक प्रतिनिधिक बनाने के लिए, राज्य स्तरीय दिशा दिशानिर्देशों के पैरा 3 को संशोधित किया गया है और 17 फरवरी 2021 को राज्य स्तरीय दिशा में 194 माननीय सांसदों को मनोनीत किया गया है।

छह. गैर-सरकारी सदस्यों का मनोनयन: माननीय संसद सदस्यों की सिफारिशों के आधार पर जिला स्तरीय दिशा में 190 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत किया गया है।

2.7 विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय ने बताया है कि अभी तक केवल दस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य स्तरीय दिशा के गठन की सूचना दी है। शुरुआत से राज्य स्तरीय दिशा बैठकों की संख्या के संबंध में ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**शुरुआत से राज्य स्तरीय दिशा बैठकों की संख्या**
छत्तीसगढ़*	1 (नवंबर 2021)
हरियाणा *	5 (अंतिम बैठक 22.08.2022 को हुई)
हिमाचल प्रदेश *	0
कर्णाटक *	1
केरल *	1 (जून 2022)
पुददुचेरी *	1 (अक्तूबर 2020)
राजस्थान *	1 (फरवरी 2021)
तमिलनाडु *	1 (मई 2022)
उत्तराखंड *	1 (अक्तूबर 2020)
अखिल भारत	12
नोट: ** राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-स्तरीय दिशा के गठन की सूचना*	

2.8 शहरी क्षेत्र दिशा (दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई और कोलकाता) की बैठकों की स्थिति के संबंध में विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

शहरी जिले	**शुरूआत से दिशा की बैठकों की संख्या**
चंडीगढ़	1
दिल्ली	18
मुंबई	0
चेन्नई	4
कोलकाता	0
कुल	23

दिशा के दिशा-निर्देश

2.9 समिति ने दिशा योजना के दिशा-निर्देशों में वांछित परिवर्तनों जैसे कि अधिक दिशा बैठकें आयोजित करना, पूरे दिन की बैठकें, कम से कम एक सप्ताह पहले बैठक नोटिस जारी करना और कार्यसूची के बारे में विस्तार से बताना, आदि के बारे में साक्ष्य के दौरान मंत्रालय द्वारा दिए गए आश्वासन के संबंध में उसकी स्थिति के बारे में जानना चाहा। इसके उत्तर में मंत्रालय ने बताया है कि दिशा के संशोधित दिशानिर्देश, 2022 (https://DISHAdashboard.nic.in/ पर अपलोड) में जिला अधिकारियों के उपयोग के लिए त्रैमासिक दिशा बैठकें (अप्रैल, जुलाई, अक्तूबर और फरवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान) आयोजित करने के लिए एक सांकेतिक कार्यक्रम दिया गया है। अधिदेशित त्रैमासिक बैठकों के अलावा, दिशानिर्देशों के पैरा 7 में अतिरिक्त बैठकें आयोजित करने का भी प्रावधान है। बैठक की तिथि और माह अध्यक्ष की सहमति/निर्देश से अधिसूचित किया जाना है। इसके अतिरिक्त, पैरा 8(क) में दिशा-निर्देशों में बैठक नोटिस, एजेंडा नोट्स, बैठकों की कार्यवाहियों को अपलोड करने और की गई

कार्रवाई रिपोर्ट को अपलोड करने के संबंध में तौर-तरीकों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। इसके अलावा, हाल ही में दिनांक 27.06.2022 के पत्र के माध्यम से मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे बैठक नोटिस, एजेंडा नोट्स, बैठकों की कार्यवाही अपलोड करने और की गई कार्रवाई रिपोर्ट के संबंध में दिशानिर्देशों में निर्धारित तौर-तरीकों का कड़ाई से पालन करें।

2.10 समिति ने यह जानना चाहा कि क्या मंत्रालय ने बैठकों के आयोजन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को तैयार करने के लिए किसी प्रस्ताव की पहल की है, जैसे बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की श्रेणियां, बैठक के कार्यवाही सारांश तैयार करने और उसके परिचालन की समय अवधि, कार्यसूची के परिचालन के लिए समय अवधि, दिशा के अध्यक्ष और सदस्यों को ब्रीफिंग, बैठकें आयोजित करने की समय अवधि और योजनाओं/परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति सहित नोटिस जारी करने और मॉनिटरिंग की प्रक्रिया आदि। इसके उत्तर में मंत्रालय ने बताया है कि उन्होंने ऐसी कोई एसओपी तैयार नहीं की है। तथापि, दिशा के दिशा-निर्देशों में इस संबंध में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है :

i. **बैठकें:** दिशा के दिशा-निर्देशों के पैरा 6 में प्रावधान है कि माननीय सांसदों/विधायकों और अन्य सभी सदस्यों को पर्याप्त नोटिस देने के पश्चात् दिशा की बैठकें प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जानी चाहिए। वर्ष के दौरान कम से कम 4 बैठकें आयोजित की जानी हैं। हालांकि, यदि अध्यक्ष चाहें, तो बुलाई जाने वाली बैठकों की संख्या चार से अधिक हो सकती है।'

ii. **बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की श्रेणियां:** दिशा के दिशानिर्देशों के पैरा 8 बी में प्रावधान है कि दिशा द्वारा समीक्षित कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने वाले संबंधित

विभागों के प्रभारी अधिकारियों को समिति के कार्यों के निर्वहन में सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार, जिलों के सभी विभागाध्यक्षों को दिशा बैठकों में भाग लेना होगा।

iii. **बैठक की कार्यसूची का परिचालन:** दिशा के दिशा-निर्देशों के पैरा 8 बी में प्रावधान है कि बैठक की सूचना बैठक से कम से कम 15 दिन पहले सभी सदस्यों तक पहुंचनी चाहिए, एजेंडा नोट बैठक से कम से कम 10 दिन पहले सभी सदस्यों तक पहुंचना चाहिए।

iv. **बैठक के कार्यवाही सारांश का परिचालन:** दिशा दिशा-निर्देशों के पैरा 8 बी में यह भी प्रावधान है कि बैठकों की कार्यवाही बैठक के 10 दिनों के भीतर जारी की जानी चाहिए। बैठक के 30 दिनों के भीतर दिशा की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। दिशा की बैठकों में की गई कार्रवाई की समीक्षा होगी।"

दिशा की मॉनिटरिंग

2.11 जमीनी स्तर पर दिशा के परिणाम/प्रभाव का आकलन करने के लिए मंत्रालय में मौजूद मॉनिटरिंग तंत्र के बारे में विस्तार से बताते हुए, मंत्रालय ने कहा है कि 3 दिसंबर 2019 को आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम के दौरान संसद सदस्यों से प्राप्त इनपुट के आधार पर, प्रभावी, समयबद्ध और परिणाम-उन्मुख सुनिश्चित करने के लिए 27 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय स्तर के दिशा मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। राष्ट्रीय स्तर के निगरानी प्रकोष्ठ का कार्य दिशा बैठकों के नियमित संचालन के लिए राज्य नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय करने और दिशा बैठकों में तय की गई मदों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना और दिशा प्रणाली के कामकाज पर मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। इसके अलावा, दिशा की बैठकों में कार्यक्रमों के निष्पादन की समीक्षा करते समय माननीय सांसदों द्वारा उपयोगकर्ता अनुकूल तरीके से 22 मंत्रालयों/विभागों की 44 योजनाओं का डेटा विश्लेषण देने वाले अत्याधुनिक दिशा डैशबोर्ड का उपयोग किया जा

रहा है। यह जिला स्तर पर भारत सरकार की योजनाओं की समग्र निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया है।

2.12 दिशा निगरानी प्रकोष्ठ की संरचना, इसके उद्देश्यों और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में किस हद तक सक्षम है, के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय स्तर पर दिशा निगरानी प्रकोष्ठ, जिसमें एक प्रधान सलाहकार और पांच सलाहकार और राज्य स्तरीय दिशा मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ, जिसमें छोटे राज्यों के लिए एक सलाहकार और बड़े राज्यों में चार सलाहकार शामिल हैं, का गठन दिशा बैठकों के प्रभावी और कुशल संचालन और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गहन निगरानी सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। हलांकि राष्ट्रीय स्तर का दिशा निगरानी प्रकोष्ठ 27 जनवरी 2021 से आवश्यक संख्या में संसाधन व्यक्तियों/परामर्शदाताओं की तैनाती के साथ पहले से ही कार्यशील है, राज्य स्तरीय दिशा निगरानी प्रकोष्ठों के लिए संसाधन व्यक्तियों/ परामर्शदाताओं की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है। राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तरीय निगरानी प्रकोष्ठों के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण अपर सचिव के स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये निगरानी प्रकोष्ठ यह सुनिश्चित करके अर्थव्यवस्था के विकास को आगे बढ़ाते हैं कि प्रत्येक गांव में सरकार के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से विकास की उचित निगरानी की जाए।

2.13 जिलों/पंचायतों और दिशा को दी गई निगरानी शक्ति के संबंध में, समिति ने पूछा कि मंत्रालय ने नियोजन डोमेन, कार्यान्वयन डोमेन और निगरानी डोमेन के बीच अंतर करने की योजना कैसे बनाई है और क्या इस संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया है कि संविधान के अनुच्छेद 243 य घ के तहत बनाई गई जिला योजना समितियां (डीपीसी) मुख्य रूप से जिले के भीतर तैयार की गई योजनाओं-ग्रामीण, शहरी, क्षेत्रीय

योजनाओं को समेकित करती हैं ताकि समग्र रूप से जिले के लिए एक प्रारूप विकास योजना तैयार की जा सके। विकेंद्रीकृत योजना की पूरी योजना में डीपीसी महत्वपूर्ण हैं और सबसे प्रभावी और नागरिक-केंद्रित तरीके से संसाधनों के आवंटन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दूसरी ओर, दिशा केंद्र सरकार की योजनाओं की निगरानी करती हैं। जबकि जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रिया स्थानीय परिस्थितियों और लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं के कार्यान्वयन को ठीक करने में मदद करती है, कार्यों की निगरानी आमतौर पर योजनाओं के कार्यान्वयन के बीच में काम करती है। कार्यान्वयन के दौरान, योजनाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जो इसकी गति और प्रभावशीलता को धीमा कर सकती हैं। समस्याओं में हितधारकों के बीच समन्वय और मार्गदर्शन की कमी हो सकती है। दिशा, जैसा कि दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि यह विकास समन्वय में सुधार करने का एक प्रयास है, जिसमें माननीय सांसदों का नेतृत्व सर्वोपरि है। वास्तव में, दिशा और डीपीसी को एक-दूसरे के समपूरक मूल्यवर्धक प्लेटफार्मों के रूप में देखा जा सकता है। दिशा एक व्यापक मंच है और पीआरआई के प्रतिनिधियों को भी दिशा के सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। दिशा का कार्यक्षेत्र कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करना है और निगरानी के दौरान कार्यान्वयन प्रक्रिया में सुधार के संबंध में सुझाव जिला/राज्य/केन्द्र सरकार को दिया जा सकता है और इसका उपयोग नीति नियोजन स्तर पर उपयुक्त सुधार के लिए फीडबैक के रूप में किया जा सकता है।

2.14 यह भी बताया गया है कि दिशा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के तहत भी योजनाएं आ रही हैं। यह पूछे जाने पर कि मंत्रालय शहरी क्षेत्रों की योजनाओं या अन्य मंत्रालयों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली योजनाओं की समुचित निगरानी कैसे सुनिश्चित कर सकता है, मंत्रालय ने बताया है कि दिशा की बैठकों की अधिकांश कार्य मदों को जिला स्तर पर ही कार्यान्वयन विभाग द्वारा देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि आवश्यक हो, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इस मामले में समुचित कार्रवाई करने हेतु मामले को सुलझाने के लिए

प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ समन्वय करता है क्योंकि प्रशासनिक विभागों की सहमति से निगरानी के लिए स्कीमों को शामिल किया गया है। दिशा से संबंधित मामलों में प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ समन्वय के लिए दिशा निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित पहलें

2.15 समिति को बताया गया है कि बैठक प्रबंधन सॉफ्टवेयर जिसे दिशा बैठकों के आयोजन के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है, को दिशा डैशबोर्ड के साथ एकीकृत करने की योजना बनाई गई है ताकि दिशा बैठकों की कार्यवाही की योजना बना सके, उसके आयोजन, उसकी रिकॉर्डिंग और निगरानी कर सके। दिशा बैठकों के आयोजन में उपरोक्त पहल के प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने सूचित बताया है कि एक ऑनलाइन पहल (https://dashboard.rural.nic.in/DISHA) विकसित की गई है, जो बैठक के सभी चरणों में विशेष रूप से बैठक नोटिस, एजेंडा के प्रकाशन और बाद में बैठक की कार्यवाही (पीओएम) अपलोड करने में काफी उपयोगी है।इस पोर्टल ने अब पूर्व मीटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की जगह ले ली है। सभी जिले अब अपने संबंधित लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके प्री और पोस्ट-दिशा मीटिंग गतिविधियों के लिए सक्रिय रूप से इस पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं। इसकी प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- पोर्टल में मीटिंग नोटिस और मीटिंग एजेंडा रखने की सुविधा;
- उपस्थिति और फ़ोटो अपलोड करने की सुविधा;
- बैठक की कार्यवाही (पीओएम) अपलोड करने की सुविधा;
- पीओएम पर की जाने वाली कार्रवाई का प्रदर्शन।

2.16 साक्ष्य के दौरान, समिति ने बताया कि दिशा की बैठकों में कनिष्ठ अधिकारी भाग लेते हैं जो वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति में केन्द्र सरकार की योजनाओं से संबंधित सूचना/आंकड़े/तथ्य/सर्वेक्षण/सांख्यिकी उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं होते हैं। इस संबंध में, मंत्रालय ने उपस्थिति प्रणाली को डिजिटाइज करने और इसे तत्काल दिशा पोर्टल में अपलोड करने के लिए एक तंत्र विकसित करने का आश्वासन दिया था। उपस्थिति प्रणाली को डिजिटाइज करने और इसे तत्काल दिशा पोर्टल में अपलोड करने के लिए दिए गए आश्वासन पर स्थिति के संबंध में, मंत्रालय ने बताया है कि दिशा के दिशानिर्देशों में जिला स्तर पर कार्यान्वयन विभागों के प्रभारी अधिकारियों की उपस्थिति का प्रावधान है। इसलिए, दिशानिर्देशों में कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा उपस्थिति निर्धारित नहीं की गई है। सचिव (ग्रामीण विकास) ने पत्र सं. क्यू.-13016/03/2021-दिशा दिनांक 3 मार्च 2021 के तहत पहले ही राज्यों के मुख्य सचिवों से दिशा की बैठकों में जिला स्तर पर सभी विभागाध्यक्षों की पूर्ण उपस्थिति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। दिनांक 06 जून, 2022 के पत्र के माध्यम से सचिव (ग्रामीण विकास) ने राज्यों के मुख्य सचिवों से दिशा-निर्देशों के अनुसार बैठकें सुनिश्चित करने और बैठकों में जिले के भीतर सभी विभागाध्यक्षों की पूर्ण उपस्थिति सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया। मंत्रालय के दिनांक 06 मई, 2022 के एक अन्य पत्र में राज्यों को दिशा बैठकों में सदस्यों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने की सलाह दी गई थी।

2.17 इस संबंध में, यह भी बताया गया है कि मंत्रालय में एक हेल्पडेस्क प्रकोष्ठ दैनिक आधार पर कई चैनलों के माध्यम से सभी हितधारकों के साथ बातचीत करता है। सभी संबंधित जिलों के अधिकारियों, डीआरडीए, सीईओ जिला परिषद और जिला मजिस्ट्रेटों के अद्यतन नंबर वाले सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। इन ग्रुपों में बैठकों के बारे में जानकारी मांगी और साझा की जाती है। बैठकों या अन्य संबंधित जानकारी के बारे में डीओ पत्र इन ग्रुपों के माध्यम से साझा किए जाते हैं। इसके अलावा, दिशा बैठकों के संबंध में किसी भी

प्रकार के प्रश्नों के लिए हितधारकों की सहायता के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। हेल्पडेस्क प्रकोष्ठ दिशा पोर्टल पर बैठक विवरण और बैठकों की कार्यवाही अपलोड करने के लिए हितधारकों की सहायता भी करता है। प्रत्येक तिमाही के बाद डीएम/सीईओ, जिला परिषद को स्वचालित अनुस्मारक संदेश भेजे जा रहे हैं, जहां दिशा की बैठक या मिनट अपलोड करना लंबित है।

दिशा की बैठकें

3.1 दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह अनिवार्य है कि राज्य स्तरीय दिशा की बैठक प्रत्येक छह महीने में कम से कम एक बार और जिला स्तरीय दिशा की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार आयोजित की जानी चाहिए। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यह देखा गया है कि वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान 706 जिलों में क्रमशः लगभग 683, 463, 693 और 525 बैठकें आयोजित की गईं।

3.2 समिति ने बताया कि जिलों की संख्या को देखते हुए पिछले चार वर्षों के दौरान दिशा दिशानिर्देशों के अनुसार 2824 (706x4) बैठकें आयोजित की जानी चाहिए, हालांकि कुल मिलाकर 1964 बैठकें आयोजित की गईं और दिशानिर्देशों में निर्धारित से कम संख्या में दिशा बैठकें आयोजित करने के कारणों के बारे में पूछा गया। अपने उत्तर में मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अद्यतन जानकारी के अनुसार, वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः 683, 463, 714 और 708 बैठकें आयोजित की गईं। हालांकि, यह भी बताया गया है कि पिछले कई वर्षों से दिशा बैठकों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। चालू वर्ष की पहली तिमाही (2022-23) में दिशा की 316 बैठकें आयोजित की गईं, जो पिछले वर्ष आयोजित बैठकों की कुल संख्या का 45 प्रतिशत के करीब है। दिशा-निर्देशों के अनुसार त्रैमासिक

दिशा बैठकें नहीं बुलाने के लिए जिला अधिकारियों द्वारा उद्धृत मुख्य कारण चुनावों के कारण आचार संहिता का लागू होना, बैठकों के आयोजन के लिए संबंधित अध्यक्ष से बैठक की सुविधाजनक तारीख प्राप्त नहीं होना और महामारी के कारण प्रतिबंध हैं। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, राज्यों को ऑडियो-वीडियो मोड के माध्यम से दिशा बैठकें आयोजित करने की भी सलाह दी गई है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2019-20 में 463 बैठकों की तुलना में वर्ष 2020-21 में 714 बैठकों के साथ बैठकों की संख्या में 54% की वृद्धि हुई है।

3.3 समिति ने दिशा बैठकों के नियमित आयोजन के संबंध में दिशा-निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानना चाहा। इसके उत्तर में मंत्रालय ने बताया है कि वे दिशा-निर्देशों के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों के साथ भरपूर प्रयास कर रहे हैं। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे गए दिनांक 24 जनवरी, 2019 के अपने पत्र में, मंत्रालय ने दिशा बैठकों के नियमित आयोजन और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए जिला स्तरीय दिशा दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों पर प्रकाश डाला है। इसके अलावा, सचिव (ग्रामीण विकास) ने दिनांक 3 मार्च 2021 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि दिशा बैठकें दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएं और बैठकों में जिले के भीतर सभी विभागाध्यक्षों की पूर्ण उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, राज्यों को ऑडियो-वीडियो मोड के माध्यम से दिशा बैठकें आयोजित करने की सलाह दी गई थी। सचिव (ग्रामीण विकास) के दिनांक 10 मई, 2022 और 06 जून, 2022 के पत्रों के माध्यम से राज्यों से दिशा-निर्देशों के अनुसार नियमित रूप से दिशा बैठकें आयोजित करने का पुन: अनुरोध किया गया है।

3.4 यह भी बताया गया है कि राज्यों/जिलों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई अन्य स्तरों पर भी की गई है जैसे कि जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों को सोशल मीडिया ग्रुपों, संदेश सेवाओं और

फोन कॉल के माध्यम से विलंबित दिशा बैठकों के बारे में याद दिलाना। परिणाम स्वरूप, दिशा बैठकों की संख्या में वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों में बैठकों की संख्या में 53 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

3.5 समिति ने दिशा बैठकें आयोजित करने के संबंध में सबसे अच्छा और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों के बारे में जानना चाहा। इसके उत्तर में, यह बताया गया है कि मंत्रालय ने केरल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मिजोरम राज्यों को निर्धारित संख्या में से 40 प्रतिशत बैठकें आयोजित करने के लिए सम्मानित किया था, जिसमें केरल पिछले पांच वर्षों के दौरान 67 प्रतिशत बैठकें आयोजित करके शीर्ष पर रहा है। नागालैंड, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली जैसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस अवधि के दौरान अच्छा प्रदर्शन नहीं किया गया और दिशा बैठकों की निर्धारित संख्या की तुलना में केवल 6 प्रतिशत बैठकें आयोजित की गई।

3.6. समिति ने दिशा बैठकें आयोजित करने में विफलता के लिए जवाबदेही तय करने के उदाहरणों के बारे में जानना चाहा। उत्तर में, मंत्रालय ने बताया है कि दिशा के दिशानिर्देशों के पैरा संख्या 7 और 10 के अनुसार, दिशा बैठक आयोजित करने के साथ-साथ दिशा की सिफारिशों पर समय पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए जिला दिशा के सदस्य सचिव व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार त्रैमासिक दिशा बैठकें नहीं बुलाने के लिए जिला प्राधिकारियों द्वारा उद्धृत कारणों में से एक बैठकें आयोजित करने के लिए अध्यक्षों से सुविधाजनक तिथि प्राप्त नहीं होना है। उत्तर में, मंत्रालय ने दिनांक 5 नवंबर, 2021 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों को स्पष्ट किया है कि दिशा के सदस्य सचिव उन मामलों में बैठक आयोजित करने के लिए अपनी सुविधानुसार सह-अध्यक्ष से संपर्क कर सकते हैं, जहां अध्यक्ष

सदस्य सचिव से इस तरह के संचार की तिथि से दो सप्ताह के भीतर अपनी सुविधा व्यक्त करने में सक्षम नहीं थे। अब तक, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां दिशा बैठकें आयोजित करने में विफलता के लिए जवाबदेही तय की गई हो।

3.7 मंत्रालय के अनुसार, दिशा-निर्देशों के अनुसार त्रैमासिक दिशा बैठकें नहीं बुलाने के लिए जिला प्राधिकारियों द्वारा दिए गए कारणों में से एक आचार संहिता का लागू होना है। यह देखते हुए कि आम चुनाव, राज्य विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव आदि जैसे चुनावों के कारण दिशा की बैठकों को हमेशा स्थगित कर दिया गया था क्योंकि इस पर आदर्श आचार संहिता लागू होती थी, समिति ने इस संबंध में मंत्रालय द्वारा किए गए उपचारात्मक/सुधारात्मक उपायों के बारे में पूछा। मंत्रालय ने बताया है कि दिशा-निर्देशों के अनुसार नियमित दिशा बैठकें आयोजित करने के लिए परामर्शिका जारी की गई है। मंत्रालय के दिनांक 06 मई, 2022 के एक हालिया पत्र में यह भी सलाह दी गई थी कि विधानसभाओं के सत्रों के दौरान दिशा की बैठकें आयोजित की जाए; तथापि, राज्यों/जिलों को दिशा-निर्देशों के अनुसार त्रैमासिक बैठकें निर्धारित करने की आवश्यकता है। फिर भी, मंत्रालय ने आदर्श आचार संहिता लागू होने पर दिशा की बैठकों के संबंध में राज्यों को कोई परामर्शिका जारी नहीं की है। **मंत्रालय इस मामले में बहुत जल्द भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोगों के साथ परामर्श करने पर विचार कर रहा है।**

मानव संसाधन के मुद्दे

3.8 समिति ने पाया है कि दिशा में परियोजना निदेशक के रूप में खंड विकास अधिकारी रैंक के समकक्ष कोई अलग नोडल अधिकारी/अभिहित कर्मचारी और राज्य सरकार स्तर पर दिशा के कार्यालय के लिए अन्य तकनीकी/व्यावसायिक रूप से सुदृढ़ सहायक कर्मचारी नहीं हैं जो दिशा की बैठकों के समय पर संचालन को हमेशा प्रभावित करते हैं। इस संबंध में, जब समिति ने राज्य

सरकारों के परामर्श से परामर्शदाताओं/संविदात्मक कर्मचारियों की नियुक्ति की संभावना के बारे में पूछा, तो मंत्रालय ने बताया है कि चूंकि दिशा को त्रैमासिक बैठकों के माध्यम से कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए अधिदेशित किया गया है, इसलिए प्रत्येक जिले के लिए दैनिक आधार पर मानव संसाधनों का रखरखाव वांछनीय नहीं है। तथापि, मंत्रालय दिशा निगरानी प्रकोष्ठों की स्थापना की अपनी पहल के एक भाग के रूप में प्रत्येक राज्य में कुछ परामर्शदाताओं को तैनात करने पर विचार कर रहा है ताकि दिशा बैठकें आयोजित करने के लिए स्टेकहोल्डरों के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके और बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके और दिशा के अध्यक्षों को एटीआर प्रस्तुत किया जा सके।

3.9 समिति ने आगे कहा कि नोडल अधिकारियों की अनुपस्थिति बैठकों के समन्वय और सुचारू संचालन को भी प्रभावित करती है और इसके परिणामस्वरूप अनुवर्ती कार्रवाइयों और बैठक व्यय की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया में देरी होती है। उत्तर में, मंत्रालय ने बताया है कि नियमित दिशा बैठकें आयोजित करने, बैठकों की कार्यवाही प्रस्तुत करने और अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए, मंत्रालय ने दिनांक 21.10.2019 के पत्र के माध्यम से राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव / सचिव को दिशा से संबंधित मामलों के लिए राज्य नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया है। इसके अलावा, दिनांक 3 दिसंबर, 2019 को आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम के दौरान माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, दिशा के प्रभावी, समयबद्ध और परिणाम-उन्मुख कार्य को सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 27 जनवरी, 2021 को राष्ट्रीय स्तर पर दिशा निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी प्रकोष्ठ दिशा बैठकों के नियमित संचालन और दिशा बैठकों में तय की गई मदों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए राज्य नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है और दिशा

प्रणाली के कामकाज पर मंत्रालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा है। मंत्रालय सभी पात्र प्रतिपूर्ति दावों (राज्यों/जिलों से प्राप्त) का समय पर निपटान करता है और ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए राज्यों/जिलों से अनुरोध करता है।

3.10 यह भी बताया गया है कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। बैठकों की संख्या में वृद्धि और मंत्रालय की वेबसाइट पर कार्यवाही सारांश अपलोड करने के कारणों में से एक नोडल अधिकारी का पदनाम बताया गया है, हालांकि, दिशा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए और प्रयास करने की आवश्यकता बताई गई है।

दिशा की सांविधिक स्थिति

3.11 समिति ने दिशा को सशक्त बनाने और दिशा दिशा-निर्देशों के प्रावधानों को बाध्यकारी बनाने के लिए एक विधान लाने की व्यवहार्यता के बारे में स्पष्ट रूप से पूछा। उत्तर में मंत्रालय ने बताया है कि दिशा-निर्देशों के अनुसार, दिशा को भारत सरकार की गैर-सांविधिक योजनाओं की निगरानी करने के लिए अधिदेशित किया गया है। अतः, इस तथ्य से, इसे वैधानिक नहीं बनाया जा सकता है। दिशा केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन को सौंपी गई जिम्मेदारियों के संवैधानिक ढांचे के भीतर समन्वय और निगरानी के माध्यम से विकास प्रक्रिया में सुधार करने का एक प्रयास है। इसलिए दिशा को सशक्त बनाने के लिए कोई भी कानून केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन के बीच शक्तियों के संवैधानिक विभाजन के अनुरूप होना चाहिए।

3.12 यह भी बताया गया है कि दिशा को कार्यकारी शक्तियां प्रदान करने के निम्नलिखित मानदंडों के साथ लाभ के पद के दायरे में आने जैसे परिणाम हो सकते हैं:

i. क्या पदधारक संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 2 (क) में यथा परिभाषित 'प्रतिकरात्मक भत्ता से भिन्न कोई अन्य पारिश्रमिक, जैसे बैठक फीस, मानदेय, वेतन, आदि ले रहा है;

(इस प्रकार सिद्धांत यह है कि यदि कोई सदस्य केवल उतना ही ले रहा है जितना कि वास्तविक व्यय होता है तथा उससे उसे कोई अधिक लाभ नहीं मिलता है तो उस पर निरर्हता लागू नहीं होगी)

ii. क्या वह निकाय जिसमें पद घारण किया हुआ है, कार्यकारी, विधायी अथवा न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है अथवा उसे निधियों के वितरण, भूमि के आवंटन, लाइसेंस आदि जारी करने की शक्तियां प्रदत्त है, अथवा उसे नियुक्ति तथा छात्रवृत्ति प्रदान करने आदि की शक्तियां प्राप्त हैं; और

iii. क्या वह निकाय, जिसमें पद धारण किया हुआ है, प्रश्रय के माध्यम से प्रभाव अथवा शक्ति का प्रयोग करता है।

3.13 इस संबंध में मंत्रालय ने बताया है कि उसने दिशा को वैधानिक दर्जा देने और दिशा के दिशा-निर्देशों को बाध्यकारी बनाने के संबंध में समिति के विचारों को विधि कार्य विभाग (डीएलए) की राय के लिए भेज दिया है। डीएलए से प्राप्त राय संलग्न है।

3.14 विशेष रूप से यह पूछे जाने पर कि क्या दिशा में संसद सदस्य पर ऐसे नियम लागू होते हैं जिसके तहत उनकी सेवाएं लाभ का पद के नियमों के तहत आती हैं, मंत्रालय ने बताया है कि दिशा में संसद सदस्यों पर लाभ के पद का कोई भी नियम लागू नहीं होता है। यह मामला वर्ष 2016 में लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष आया है और समिति ने दिनांक 28 मार्च 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21/2/29120/2015/2 के माध्यम से भेजे अपनी उन्नीसवें

प्रतिवेदन में यह राय व्यक्त की है कि जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) के अध्यक्ष या सह-अध्यक्ष के रूप में संसद सदस्यों का मनोनयन उन्हें संविधान के अनुच्छेद 102 (1 क) के तहत उन्हें निरर्हित नहीं करता है ।

3.15 जब समिति ने दिशा के दिशा दिशा-निर्देशों में विषय के चयन की प्रक्रिया, जिला कलेक्टर आदि पर अध्यक्ष के प्राधिकार और उन्हें बाध्यकारी बनाने के संबंध में दिशा के अध्यक्ष या जिला कलेक्टर के अधिकार को परिभाषित न करने के कारणों के बारे में पूछा, तो मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया है कि दिशा की निगरानी संरचना को एक समिति के रूप में परिकल्पित किया गया है जो बड़े कल्याणकारी लक्ष्यों के लिए योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विभागों की गतिविधियों को समन्वय और संरेखित करने के लिए एक मंच (जिला और राज्य स्तर पर) के रूप में कार्य करती है। दिशा केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन को सौंपी गई जिम्मेदारियों के संवैधानिक ढांचे के भीतर विकास समन्वय और निगरानी में सुधार करने का एक प्रयास है। समिति के लिए जिन शक्तियों को परिभाषित किया गया है, वे मुख्यतः सलाहकारी प्रकृति की हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि दिशा को संविधान के सहकारी संघीय ढांचे के भीतर कार्य करने की परिकल्पना की गई है। यद्यपि दिशा विकास समन्वय और निगरानी में महत्वपूर्ण है, लेकिन यह किसी भी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग नहीं करती है। इस प्रकार, जिला कलेक्टर जो राज्य सरकार की मशीनरी का हिस्सा है, पर अध्यक्ष को स्पष्ट प्राधिकार प्रदान करना, , दिशा के उद्देश्य के अनुरूप नहीं हो सकता है, जो मुख्य रूप से कई प्राधिकरणों / एजेंसियों के समग्र समन्वय के साथ कार्यक्रमों की बेहतर निगरानी के लिए जिला स्तर तक डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के लिए है।

3.16 सचिव, दिशा (डीएम, कलेक्टर आदि) को अध्यक्ष, दिशा (संबंधित संसद सदस्य) के प्रभार के अंतर्गत लाने के लिए ताकि जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके, स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर यह बताया गया है कि दिशा को एक सामूहिक समन्वय निकाय के रूप में परिकल्पित किया गया है जिसे एक मजबूत सलाहकार भूमिका निभानी है। जिला कलेक्टर दिशा का एकमात्र सदस्य सचिव है, इसमें अन्य महत्वपूर्ण सदस्य शामिल हैं जैसे विधान सभाओं के सदस्य (विधायक), पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के प्रतिनिधि, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार सरकारी अधिकारी और सिविल सोसाइटियों के सदस्य। यह सभी सदस्यों के बीच चर्चा के माध्यम से ज्ञात है कि दिशा विकास समन्वय और निगरानी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नियमित और व्यापक बैठकों के माध्यम से यह पता चलता है कि दिशा की समन्वय और निगरानी शक्तियों को सुदृढ़ किया जा रहा है। दिशा दिशानिर्देशों में सदस्य सचिव की भूमिका स्पष्ट रूप में व्यक्त की गई है ताकि जिला कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से दिशा बैठकें आयोजित करने और दिशा (पैरा 8 और 10) की सिफारिशों पर समय पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हो। वास्तव में, दिशा की शक्तियों को किसी एक सदस्य या अध्यक्ष के बजाय समिति के ऊपर परिभाषित किया गया है। यह देखते हुए कि दिशा सामूहिक समन्वय निकाय है, सदस्य सचिव को अध्यक्ष के प्रभार के अंतर्गत लाना व्यवहार्य नहीं है।

3.17 समिति ने मंत्रालय के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि दिशा बैठकों में जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्यों के साथ जिलों में चल रही विकास परियोजनाओं पर चर्चा नहीं की जा रही है, जो ऐसी परियोजनाओं की प्रगति को प्रभावित करती है और समिति ने यह जानना चाहा कि क्या दिशा में संसद सदस्यों की भूमिका और शक्तियों के बारे में संशोधित दिशानिर्देश जारी करने का कोई प्रस्ताव है। इसके उत्तर में, मंत्रालय ने बताया है कि दिशा के

दिशानिर्देश विकास प्रक्रिया के समन्वय और निगरानी के संबंध में किसी सदस्य/अध्यक्ष के बजाय समिति की शक्तियों को परिभाषित करते हैं। दिशा के अध्यक्ष के रूप में माननीय संसद सदस्यों की भूमिका समन्वय समस्याओं को हल करने, कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने, यदि कोई हो, और अनुमोदित विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य दिशा के विचारार्थ विषयों (टीओआर) में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि समिति विभिन्न विकास परियोजनाओं के संबंध में राज्य के अधिकारियों द्वारा आवश्यक मंजूरी देने में समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन में बाधा डालने वाली समस्याओं और भूमि के मुद्दे, यदि कोई हों, के समाधान की समीक्षा करेगी। इन मामलों से संबंधित मुद्दे एक एजेंडा हो सकते हैं और दिशानिर्देशों में एजेंडा निर्धारित करने में शामिल तौर-तरीकों को स्पष्ट रूप से कहा गया है और दिशा को अपना एजेंडा तैयार करने के लिए लचीलापन दिया गया है।

बैठकें आयोजित करने पर व्यय

3.18 दिशा के दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय जिला प्रशासन द्वारा दावा की गई राशि की प्रतिपूर्ति 2.0 लाख रु. प्रति बैठक की अधिकतम सीमा के भीतर किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर करेगा और संबंधित राज्य सरकार/डीआरडीए(या जिला पंचायत) द्वारा बिलों को मंजूरी वास्तविक आधार पर दी जानी चाहिए। इसके अलावा, ये दिशानिर्देश दिशा बैठकों पर व्यय के लिए निम्नलिखित मानदंड प्रदान करते हैं:

क) जिला स्तरीय वीएमसी बैठक आयोजित करने के बिल को डीआरडीए द्वारा मंजूरी दी जाएगी और यह मंत्रालय प्रति बैठक 2.0 लाख रु. की अधिकतम सीमा के भीतर किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर डीआरडीए द्वारा दावा की गई राशि की प्रतिपूर्ति करेगा।

ख) संसद सदस्यों और राज्य विधानसभा के सदस्यों के अलावा दिशा के गैर-सरकारी सदस्य बैठकों में भाग लेने के लिए जिले के भीतर स्थानीय यात्रा के लिए खर्च की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे जो कि राज्य के ग्रुप 'ए' अधिकारियों के लिए अनुमत्य है।

ग) संसद सदस्यों और राज्य विधान सभा के सदस्यों के अलावा अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को राज्य के ग्रुप 'ए' अधिकारियों के लिए अनुमत्य राज्य सरकार के दैनिक भत्ते की दर पर ही दैनिक भत्ता दिया जाए।

घ) राज्य और जिला प्रशासन जलपान, आयोजन स्थल की व्यवस्था, न्यूनतम आवश्यक स्टेशनरी आदि पर खर्च कर सकता है।

ङ) कंप्यूटर, कार्यालय आवास, फर्नीचर, टेलीफोन आदि जैसी मदों पर किसी व्यय की अनुमति नहीं होगी।

3.19 पिछले 4 वर्षों में दिशा की बैठकों पर राज्य-वार खर्च के विवरण के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत किया है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश	538779	106977	74464	
अरुणाचल प्रदेश	73580	-	315186	-
असम	-	744000	-	-
बिहार	-	141195	-	-
चंडीगढ़	-	-	-	-
छत्तीसगढ़	-	105516	59998	597342
दादरा और नगर हवेली	-	-	-	-
दमन और दीव	-	-	-	-
गोवा	-	-	-	-

गुजरात	-	-	-	-
हरियाणा	-	139409	-	-
हिमाचल प्रदेश	64604	-	-	-
जम्मू और कश्मीर	-	-	200000	200000
झारखंड	145000	153236	-	-
कर्नाटक	-	-	-	-
केरल	56193	2013122	247073	10521
लद्दाख	-	-	-	-
लक्षदीप	-	-	-	-
मध्य प्रदेश	-	-	-	35959
महाराष्ट्र	-	342266	-	
मणिपुर	-	-	-	381250
मेघालय	-	-	-	
मिजोरम	98405		-	367210
नागालैंड	-	-	-	-
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	-	-	-
ओडिशा	-	884776	60505	
पुदुचेरी	-	-	-	-
पंजाब	369270	-	-	-
राजस्थान	-	-	-	-
सिक्किम	-	-	-	-
तमिलनाडु		533677	602511	330805
तेलंगाना	110121	-	98564	46839
त्रिपुरा	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश	338596	1194183	390573	301692
उत्तराखंड	16608	-	-	-
पश्चिम बंगाल	-	-	-	-

कुल	**1811156**	**6358357**	**2048874**	**2271618**
नोट: ' – ' शून्य राशि दर्शाता है				

दिशा का कार्यकरण

4.1 दिशा के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि बैठक से 15 दिन पहले नोटिस परिचालित किया जाना है, 10 दिन पहले एजेंडा परिचालित किया जाना है, बैठक के 10 दिनों के भीतर कार्यवाही विवरण को परिचालित किया जाना है और बैठक के 30 दिनों के भीतर की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन के बारे में सूचना दिए जाने की आवश्यकता है। हालांकि, यह देखा गया है कि इन दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन नहीं किया जा रहा है।

4.2 समिति ने दिशा के कामकाज के संबंध में इन दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन सुनिश्चित किये जाने एवं इस संबंध में मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानना चाहा। इसके उत्तर में यह बताया गया है कि दिशा के दिशा-निर्देशों (जिला दिशा-निर्देशों के पैरा 7) के अनुसार, सदस्य सचिव, जो कि जिला कलेक्टर हैं, दिशा बैठकें आयोजित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बैठक नोटिस, एजेंडा नोट्स और बैठकों की कार्यवाही तत्काल ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकार की वेबसाइट [पैरा 8 (ख)] दोनों पर अपलोड कर दी गई है। सदस्य सचिव दिशा (पैरा 10) की सिफारिशों पर समय पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भी जिम्मेदार है। इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दिनांक 27.06.2022 के अपने पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे दिशा के सदस्य सचिवों को बैठक नोटिस, एजेंडा नोट्स, बैठकों की कार्यवाही अपलोड करने और की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन के संबंध में दिशानिर्देशों में निर्धारित तौर-तरीकों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दे। इन उपायों के अलावा, जिला प्राधिकारियों को सोशल मीडिया ग्रुपों,

संदेश सेवाओं और फोन कॉल के माध्यम से दिशा बैठकों के बारे में नियमित रूप से अवगत कराया जा रहा है।

अनुवर्ती कार्यवाही

4.3 समिति को बताया गया है कि दिशा द्वारा समीक्षा किए गए कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने वाले संबंधित विभागों के प्रभारी अधिकारियों को समिति के कार्यों के निर्वहन में सहायता करनी चाहिए। बैठक के 30 दिनों के भीतर दिशा की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। बैठकों की कार्यवाही कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाएगी। दिशा की बैठकों में की गई कार्रवाई की निगरानी की जाएगी।

4.4 दिशा द्वारा अब तक तैयार की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (एटीआर) की संख्या के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया है कि दिशा द्वारा अपने पिछली बैठकें में दी गई सिफारिशों के आधार पर जिला प्राधिकारियों द्वारा एटीआर तैयार किया जाना है। दिशा के दिशानिर्देशों में जिले के पैरा 8 (क) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एटीआर एजेंडा का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, जिसे निर्धारित बैठक से कम से कम 10 दिन पहले सभी सदस्यों के बीच परिचालित किया जाए। मंत्रालय ने 27 जून, 2022 के अपने पत्र के माध्यम से राज्यों के सभी प्रधान सचिवों से अनुसूचित जिले की दिशा बैठक के एजेंडे में पहली मद के रूप में अंतिम दिशा बैठक के निर्णयों और सिफारिशों पर एटीआर सहित बैठक की कार्यवाही सारांश को नियमित रूप से अपलोड करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, मंत्रालय में हेल्पडेस्क प्रकोष्ठ कई चैनलों के माध्यम से दैनिक आधार पर सभी हितधारकों के साथ बातचीत करता है और उन्हें दिशा पोर्टल पर बैठक का विवरण और बैठकों की कार्यवाही विवरण अपलोड करने में सहायता करता है। प्रत्येक तिमाही के बाद डीएम/सीईओ जिला परिषद को स्वचालित अनुस्मारक संदेश भेजे जा रहे हैं जहां दिशा बैठक या कार्यवाही सारांश अपलोड करना लंबित है। मंत्रालय ने

एक ऑनलाइन पहल (https://dashboard.rural.nic.in/DISHA) विकसित की है, जो बैठक के सभी चरणों में विशेष रूप से बैठक नोटिस, एजेंडा के प्रकाशन और बाद में बैठक की कार्यवाही विवरण (पीओएम) को अपलोड करने में काफी उपयोगी है और अपलोड किए गए एजेंडा का विवरण इस वेब पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है।

4.5 जब समिति ने दिशा बैठकों के लिए की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन/ कार्यवाही सारांश के देर से परिचालित किए जाने के बारे में पूछा और इन पत्रों को दिशा के सदस्यों को परिचालित किये जाने के संबंध में समय सीमा तय करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानना चाहा, यह बताया गया है कि दिशा के दिशानिर्देशों के पैरा 8 ख में पहले से ही प्रावधान है कि बैठक की कार्यवाही बैठक के 10 दिनों के भीतर जारी की जानी चाहिए। बैठक के 30 दिनों के भीतर दिशा की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। कार्यवाही सारांश अपलोड करने के लिए समर्पित वेबसाइट का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, राज्य स्तर पर दिशा निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्णय इस प्रकार के मुद्दों का समाधान करने के उद्देश्य से है।

4.6 यह पूछे जाने पर कि मंत्रालय का यह किस प्रकार सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है कि दिशा बैठकों के कार्यवाही सारांश और बैठकों में चर्चा किए गए मामलों पर की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन को समय पर अपलोड किया जाए। उत्तर में, यह बताया गया है कि मंत्रालय ने दिनांक 27 जून, 2022 के अपने हाल ही के पत्र में राज्यों के सभी प्रमुख सचिवों से बैठक के कार्यवाही सारांश को नियमित रूप से अपलोड करने और अनुसूचित जिला दिशा बैठक के एजेंडे में अंतिम दिशा बैठक के निर्णयों और सिफारिशों पर एटीआर को पहली मद के रूप में शामिल करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, मंत्रालय में हेल्पडेस्क प्रकोष्ठ कई चैनलों के माध्यम से दैनिक आधार पर सभी हितधारकों के साथ बातचीत करता है। सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संबंधित जिलों के

अधिकारियों, डीआरडीए, सीईओ, जिला परिषद और जिला मजिस्ट्रेटों के अद्यतन नंबर का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इन ग्रुपों में बैठकों के संबंध में जानकारी मांगी और साझा की जाती है। इन समूहों के माध्यम से बैठकों या अन्य संबंधित जानकारी के संबंध में डीओ पत्र साझा किए जाते हैं। और दिशा बैठकों के संबंध में किसी भी प्रकार के प्रश्नों के लिए हितधारकों की सहायता के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। हेल्पडेस्क प्रकोष्ठ हितधारकों को बैठक का विवरण और बैठकों की कार्यवाही विवरण को दिशा पोर्टल पर अपलोड करने में भी सहायता करता है। प्रत्येक तिमाही के बाद डीएम/सीईओ जिला परिषद को स्वचालित अनुस्मारक संदेश भेजे जा रहे हैं जहां दिशा बैठक या कार्यवाही सारांश अपलोड करना लंबित है।

4.7 समिति ने पूछा कि क्या मंत्रालय ने दिशा के कार्य-निष्पादन का आकलन करने के लिए वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने हेतु कोई दिशानिर्देश जारी करने का प्रस्ताव किया है, मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया है कि उन्होंने दिशा के कार्यनिष्पादन का आकलन करने के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने हेतु कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया है। फिर भी,एक समर्पित वेबपोर्टल के माध्यम से दिशा के कार्य-निष्पादन की नियमित रूप से निगरानी की जाती है और मंत्री और सचिव स्तर से आधिकारिक संवाद से जिला प्राधिकारियों को सोशल मीडिया ग्रुपों में पोस्ट, संदेश सेवाओं, फोन कॉल आदि विभिन्न माध्यमों से निदेश दिए जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी प्रकोष्ठ (दिसंबर 2019 में आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम के दौरान माननीय संसद सदस्यों से फीडबैक के आधार पर जनवरी 2021 में गठित) दिशा बैठकों के नियमित आयोजन और दिशा बैठकों में तय की गई मदों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए राज्य नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है और दिशा प्रणाली के कामकाज पर मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है। इसके अलावा, निगरानी और मूल्यांकन शीर्ष के तहत मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट में दिशा फ्रेमवर्क के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है।

4.8 यह पूछे जाने पर कि क्या निधियों के दुरुपयोग और इसके अन्यत्र उपयोग के किसी मामले का पता चला है जहां दिशा ने जांच के आदेश दिए हैं, समिति को बताया गया है कि दिशा के दिशानिर्देशों के अनुसार, पिछली बैठक की सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (एटीआर) अगली बैठक का पहला एजेंडा होना चाहिए। दिशा बैठक में इंगित की गई किसी भी विसंगति का एटीआर में समाधान किया जाता है। मंत्रालय के वेबपोर्टल (पिछले तीन महीनों में) में अपलोड की गई बैठकों की कार्यवाही विवरण (पीओएम) से यह पाया गया है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा, बिहार और झारखंड की दिशा बैठकों में धन के उपयोग, भुगतान में देरी और इस संबंध में दिशा के निर्देशों पर चर्चा की गई थी। चूंकि जिला प्राधिकरण ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए निर्दिष्ट वेब पोर्टल (https://dashboard.rural.nic.in/DISHA/vigi_home.aspx) पर पीओएम अपलोड करते हैं, उसी का ब्योरा जनता के लिए उपलब्ध है।

वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही

4.9 दिशा बैठकों के कामकाज में जिला स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मौजूद तंत्र, यदि कोई हो, के बारे में पूछे जाने पर और यह भी पूछे जाने पर कि दिशानिर्देशों के अनुसार वे किस हद तक काम कर रहे हैं, मंत्रालय ने बताया कि दिशा के दिशानिर्देशों के पैरा 8.ख के अनुसार, दिशा द्वारा समीक्षा किए गए कार्यक्रमों को निष्पादित करने वाले लाइन विभागों के प्रभारी अधिकारियों को समिति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करनी चाहिए। सदस्य सचिव अर्थात् जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट दिशा की बैठकें आयोजित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। सदस्य सचिव को यह सुनिश्चित करना है कि बैठक नोटिस, एजेंडा नोट्स और बैठकों की कार्यवाही ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट

http://ruraldiksha.nic.in/DISHA/vigi_home.aspx पर तुरंत अपलोड की गई हैं। संबंधित अधिकारियों द्वारा इन प्रावधानों का अनुपालन उनके कार्य निष्पादन का सूचक है।

4.10 समिति ने पाया है कि दिशा की बैठकों को इसकी सलाहकार प्रकृति के कारण बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता है और इनमें दिशानिर्देशों में यथा निर्धारित विभागाध्यक्षों (एचओडी) के स्थान पर अधिकतर विभागों के कनिष्ठ अधिकारी भाग लेते हैं जो जिलों में चल रही विकास परियोजनाओं के संबंध में प्रासंगिक आंकड़े/तथ्य प्रदान कर पाते हैं।

4.11 इस प्रवृत्ति को रोकने और उच्च अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले सुधारात्मक उपाय के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया है कि दिशा दिशानिर्देशों में जिला स्तर पर कार्यान्वयन विभागों के प्रभारी अधिकारियों की उपस्थिति का प्रावधान है। अतः, कनिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि दिशा द्वारा समीक्षा किए गए कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने वाले जिला स्तर पर लाइन विभागों के प्रभारी अधिकारी समिति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करें और इसलिए, बैठकों में उपस्थित होने और आवश्यकतानुसार अपने हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। सचिव (आरडी) ने 3 मार्च 2021 के अपने पत्र के माध्यम से राज्यों के मुख्य सचिवों से दिशा बैठकों में जिला स्तर पर सभी विभागाध्यक्षों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था। इसके अतिरिक्त, हाल ही में, 06 जून, 2022 के एक पत्र के माध्यम से, सचिव (आरडी) ने राज्यों के मुख्य सचिवों से दिशानिर्देशों के अनुसार दिशा बैठकें सुनिश्चित करने और बैठकों में जिले के भीतर सभी विभागाध्यक्षों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।

4.12 यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय दिशा की बैठकों में भाग न लेने वाले विभागाध्यक्षों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है, यह बताया गया कि सदस्य सचिव

अर्थात् जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट दिशा की बैठकें आयोजित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं कि दिशानिर्देशों के अनुसार सभी तौर-तरीकों का पालन किया जा रहा है। दिशा के दिशा-निर्देशों में जिला स्तर पर कार्यान्वयन विभागों के प्रभारी अधिकारियों की उपस्थिति का प्रावधान है। इसलिए कनिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। हालांकि, दिशा-निर्देशों में इस संबंध में किसी दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। अभिप्राय यह है कि दिशा की बैठकों में जानबूझकर अनुपस्थिति को सरकारी कर्मचारियों पर लागू आचार संहिता का उल्लंघन माना जाना चाहिए और इसलिए, संबंधित सरकारी कर्मचारी पर लागू अनुशासन नियमों के तहत अनुमत्य शास्तियां लगाई जा सकती है।

कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन:

4.13 समिति ने पाया है कि मंत्रालय ने 06.06.2022 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एक अर्ध सरकारी पत्र भेजा था, जिसमें यह बताया गया था कि अब से दिशा बैठकों की संख्या को जिला कलेक्टरों/उपायुक्तों की वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) में मापदंडों में से एक माना जाएगा।

4.14 इस संबंध में राज्यों द्वारा मंत्रालय के निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित कदमों के बारे में पूछे जाने पर यह बताया गया कि मंत्रालय दिशा बैठकों की संख्या बढ़ाने के लिए जिला कलेक्टरों की वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) में एक पैरामीटर के रूप में दिशा बैठकों के आयोजन पर विचार करने के लिए परामर्शिका सहित विभिन्न तरीकों से राज्यों के साथ कार्यवाही कर रहा है। जिला कलेक्टरों के एपीएआर प्रारूप में दिशा बैठकों को शामिल करने के संबंध में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने मामले की जांच की थी और दिनांक 12.04.2022 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सलाह दी थी कि एआईएस (पीएआर) नियम, 2007 के अनुसार मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श व्यवहार्य नहीं है।

इसके अतिरिक्त, विभाग के दिनांक 6.6.2022 के पत्र के माध्यम से, इस विभाग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया है कि वे जिला कलेक्टरों/मजिस्ट्रेटों को दिशा बैठकें समय पर आयोजित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें और एपीएआर दर्ज करने वाले प्राधिकारियों को नियमित दिशा बैठकें आयोजित करने में उनके कार्यनिष्पादन के संबंध में अधिकारियों के एपीएआर पर अपनी टिप्पणियों को शामिल करने की सलाह दें।

4.15 समिति ने जिला कलेक्टर सहित दिशा संबंधी जिला स्तरीय अधिकारियों की वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट में दिशा के अध्यक्ष द्वारा सिफारिश/टिप्पणियां करने की व्यवहार्यता के संबंध में जानना चाहा तो मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दिशा किसी भी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं करती, अतः जिला कलेक्टर सहित दिशा संबंधी जिला स्तरीय अधिकारियों की वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट में टिप्पणियां करना व्यवहार्य नहीं हो सकता है। तथापि, दिशा के सदस्य अपनी सिफारिश राज्य के मुख्य सचिव/सक्षम प्राधिकारी को भेज सकते हैं, जिसे अधिकारी के कार्य निष्पादन के औपचारिक मूल्यांकन के समय ध्यान में रखा जा सकता है। इस संबंध में, जिला कलेक्टरों के वार्षिक मूल्यांकन में दिशा बैठकों के आयोजन और कार्यनिष्पादन को शामिल करने के लिए राज्यों के मुख्य सचिवों को विगत में एक पत्र जारी किया गया है।

दिशा की शक्तियां

4.16 समिति ने पाया है कि दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट है कि दिशा के पास समन्वय और निगरानी संबंधी शक्तियां होंगी। इसकी भूमिका अनुमोदित परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने की है। विचार-विमर्श के दौरान उठाए गए मुद्दों पर प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई की मांग करने की उसके पास शक्तियां होंगी। सिफारिशों के संबंध में समय पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर सदस्य सचिव होंगे।

4.17 इस संबंध में, जब समिति ने दिशा के दायरे में आने वाले विभिन्न विभागों और कार्यालयों के कार्यनिष्पादन के संबंध में दिशा के अध्यक्ष के प्राधिकार और शक्तियों के बारे में पूछा तो मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि दिशानिर्देश विकास प्रक्रिया के समन्वय और निगरानी के संबंध में अध्यक्ष की शक्तियों को परिभाषित करने के बजाय समिति की शक्तियों को परिभाषित करते हैं। उनकी भूमिका अनुमोदित परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। दिशा के पास विचार-विमर्श के दौरान उठाए गए मुद्दों पर प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई की मांग करने की शक्तियां हैं। समिति के अध्यक्ष/सह-अध्यक्ष के रूप में संसद सदस्य समितियों का मार्गदर्शन कर सकते हैं ताकि इसके उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। दिशा समिति के अध्यक्ष दिशा के दायरे में आने वाले विभिन्न विभागों और कार्यालयों के कार्यनिष्पादन के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को सलाह दे सकते हैं।

4.18 यह पूछे जाने पर कि क्या दिशा संवीक्षा के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं/योजनाओं के स्थलों का भौतिक रूप से निरीक्षण और निगरानी कर सकती है। संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत कर सकती है और इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है, मंत्रालय ने बताया कि दिशा के दिशानिर्देशों के पैरा 4 में दिशा के विचारार्थ विषयों के बिंदु (ix) में प्रावधान है कि समिति के पास इस उद्देश्य से समन भेजने और किसी भी रिकॉर्ड की जांच करने का अधिकार होना चाहिए। समिति किसी भी मामले को जांच के लिए जिला कलेक्टर/जिला पंचायत के सीईओ/डीआरडीए (अथवा गरीबी निवारण इकाई) के परियोजना निदेशक के पास भेज सकती है अथवा नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई करने का सुझाव दे सकती है, जिस पर उनके द्वारा 30 दिनों के भीतर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस प्रकार, यदि समिति आवश्यक समझती है, तो वह भौतिक रूप से स्थलों का निरीक्षण कर सकती है और संबंधित प्राधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है।

भाग- दो

टिप्पणियाँ/सिफारिशें

1. समिति नोट करती है कि वर्ष 2016 तक ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास ग्रामीण विकास कार्यक्रम की निगरानी के लिए माननीय संसद सदस्यों (सांसदों) की अध्यक्षता में जिला स्तर पर सतर्कता और निगरानी समितियों की एक प्रणाली थी। इस प्रणाली को 27 जून, 2016 से जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) में परिवर्तित कर दिया गया था जिसका बृहत्तर कार्य भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मार्गदर्शन करना था। समिति को यह बताया गया है कि दिशा के तहत परिकल्पित यह निगरानी तंत्र माननीय संसद सदस्यों, राज्य विधानमंडल के सदस्यों, पंचायत राज संस्थाओं (पीआरआई) के प्रतिनिधि और प्रशासनिक विभागों के अधिकारियों की भागीदारी के साथ 'सहकारी संघवाद' के विचार को मजबूत करता है। दिशा बैठकें ऐसा मंच प्रदान करती हैं जहां विभिन्न विकास कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है और संसद सदस्यों और विधायकों के बहुमूल्य विचार लेकर आगे की कार्रवाई तय की जा सकती है। वैचारिक स्तर पर, समिति की राय है कि दिशा निश्चित रूप से सरकार के विकास कार्यों के विकास में कार्यकारी, जनप्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को एक साथ लाते हुए भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए प्रभावी संस्था के रूप में काम कर सकती है। हालांकि, समिति चाहती है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि दिशा बैठकों में विभिन्न योजनाओं के वित्तीय पहलुओं की निगरानी और योजनाओं के तहत किए गए कार्यों के गुणात्मक पहलू दिशा के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए उद्देश्यों, मापनीय लक्ष्यों और उपलब्धियों को शामिल करने से निश्चित रूप से योजनाओं के कार्यान्वयन का बेहतर तरीके से मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। साथ ही, वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए, दिशा को प्रभावी तरीके से और दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। समिति यह जानती है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय दिशा बैठकों

के प्रभावी संचालन के लिए कई उपाय कर रहा है और इस संबंध में समय-समय पर परामर्शिका जारी की जा रही है। समिति को विश्वास है कि सरकार दिशा से संबंधित मौजूदा मुद्दों का अपने अधिदेश और दिशा दिशानिर्देशों के अनुसार समाधान करने के अपने प्रयासों को जारी रखेगी, ताकि दिशा के गठन का उद्देश्य अच्छी तरह से पूरा हो सके।

2. समिति नोट करती है कि दिशा के दिशानिर्देशों में निर्धारित अनुसार दिशा को भारत सरकार की सभी गैर-सांविधिक स्कीमों की निगरानी करने का अधिदेश है। शुरूआत में दिशा द्वारा निगरानी किए जाने हेतु स्कीमों की सूची में 28 स्कीमों को शामिल किया गया था, तथापि, वर्तमान में दिशा के डैशबोर्ड में 76 स्कीम शामिल हैं। चूंकि मंत्रालय दिशा के डैशबोर्ड में अपनी गैर-सांविधिक स्कीमों को समेकित करने की संभाव्यता का पता लगाने के लिए भारत सरकार के अन्य सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय कर रहा है, इसलिए समिति को आशा है कि दिशा के डैशबोर्ड में जल्द ही कई और स्कीमें शामिल की जाएंगी।

3. समिति को यह बताया गया है कि दिशा का कार्यक्षेत्र सरकार की गैर-सांविधिक योजनाओं की निगरानी तक ही सीमित है। सांविधिक योजनाओं की निगरानी विधि कार्य विभाग की सलाह के अनुरूप दिशा के दायरे से बाहर रखी जाती है क्योंकि सांविधिक योजनाओं की कार्यान्वयन प्रक्रिया उनके कानून से निर्देशित होती है। हालांकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वैधानिक योजनाओं में बड़ी सार्वजनिक निधि लगी है और उन्हें योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न जिलों में हस्तांतरित किया जा रहा है, समिति यह सुझाव देना चाहेगी कि सरकार को अपनी सभी सांविधिक या गैर-सांविधिक स्वरूप की योजनाओं, के लिए एकसमान निगरानी तंत्र को, प्रभावी और समय पर कार्यान्वयन के लिए, विविध रूप प्रदान करना चाहिए ताकि सार्वजनिक धन का वांछित तरीके से उपयोग किया जा सके। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि सरकार को अपनी सांविधिक और गैर-सांविधिक योजनाओं को दिशा के दायरे में लाने की

संभावना तलाशनी चाहिए, ताकि संसद सदस्यों को सभी केंद्रीय योजनाओं/ कार्यक्रमों/परियोजनाओं की निगरानी और समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर अवसर मिल सके।

4. दिशा को वैधानिक दर्जा नहीं दिए जाने के लिए मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क से समिति खुश नहीं है। मंत्रालय के अनुसार, दिशा को भारत सरकार की गैर-सांविधिक योजनाओं की निगरानी करना अनिवार्य है और दिशा को कार्यकारी अधिकार प्रदान करने के कानूनी निहितार्थ हो सकते हैं क्योंकि ऐसा करने से संविधान के अनुच्छेद 102(1) के तहत लाभ के पद के प्रावधान लागू हो सकते हैं, जो मौजूदा संसद सदस्यों की निरर्हता का कारण बन सकता है। इसलिए दिशा को सशक्त बनाने के लिए कोई भी कानून संविधान, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच शक्तियों के वितरण के अनुरूप होना चाहिए। समिति का विचार है कि अनुच्छेद 102(1) के तहत मौजूदा संसद सदस्यों की निरर्हता तभी लागू होती है, जब वह भारत सरकार या राज्य सरकार के तहत लाभ का कोई पद धारण करता है, और/या किसी पद पर नियुक्त होने के आधार पर किसी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करता है। दिशा के अध्यक्ष, समिति का पदेन सदस्य होने के नाते, राज्य/केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है और इस प्रकार सरकार के तहत लाभ का कोई पद धारण करने के मानदंड के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा, दिशा के अध्यक्ष का पद इस संबंध में संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाए जाने वाले कानून से अपना अधिदेश और शक्ति प्राप्त करेगा और इसे किसी भी राज्य/केंद्र सरकार के दायरे में कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने वाला पद नहीं माना जा सकता है।

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959, अधिसूचित करता है कि सरकार के अधीन बड़ी संख्या में लाभ के पद उसके धारकों को संसद सदस्य के रूप में चुने जाने या होने के लिए निरर्ह नहीं ठहराएंगे। समिति का दृढ़ मत है कि

दिशा के अध्यक्ष के पद को संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 3 के तहत शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें बड़ी संख्या में पद लाभ के पद के दायरे से बाहर हैं। समिति जिला स्तर पर संसद सदस्य को अध्यक्ष और जिला कलेक्टर को सदस्य सचिव के रूप में सशक्त बनाने के लिए एक समर्पित/प्रत्यायोजित कानून बनाने की सिफारिश करती है, जबकि यह सुनिश्चित करती है कि यह केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच शक्तियों के संवैधानिक वितरण और सहकारी संघवाद की भावना को बनाए रखने के अनुरूप है। इस प्रकार अधिनियमित कानून में उपयुक्त प्रावधान होने से दिशा बैठकें आयोजित करने में अनियमितताओं पर ध्यान दिया जा सकेगा।

5. समिति नोट करती है कि जिला स्तरीय दिशा की सफलता को ध्यान में रखते हुए, राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दिशा का गठन मई, 2019 में महत्वपूर्ण और आकस्मिक प्रकृति के मुद्दों के समाधान की सुविधा के लिए किया गया था, जो शीर्ष स्तर पर ध्यान और समन्वय के अभाव में लागू नहीं हो पाए हैं। 199 माननीय संसद सदस्यों के नामांकन के साथ दिनांक 17 फरवरी, 2021 को राज्य स्तरीय दिशा का पुनर्गठन किया गया है। इसके अलावा, शहरी जिलों में दिशा अर्थात जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां (डीएलवीएमसी) जो शहरी जिलों में पूरी तरह से चालू नहीं थीं, उन्हें भी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू की जाने वाली योजनाओं की निगरानी के लिए दिशा के रूप में कार्यात्मक बनाया गया है। इसलिए, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई और कोलकाता के शहरी जिलों में दिशा का गठन किया गया है। यद्यपि सरकार के प्रयास प्रशंसनीय हैं, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक केवल 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य स्तरीय दिशा का गठन किया गया है और उनकी स्थापना के बाद से केवल 12 बैठकें हुई हैं। शहरी जिलों में दिशा की बैठकों की संख्या के संबंध में स्थिति अलग नहीं है। समिति का विचार है कि यदि सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की

निगरानी के लिए एक बड़े उद्देश्य के साथ गठित समितियां निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार उसे पूरा करने और कार्य करने में असफल रहती हैं, तो दिशा के गठन का पूरा उद्देश्य विफल हो जाता है। इस प्रकार समिति सिफारिश करती है कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य स्तरीय दिशा के गठन या दिशा बैठकें आयोजित न किए जाने के संबंध में बिना समय गंवाए ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। समिति सरकार से आग्रह करती है कि वह दिशा के अपेक्षाकृत निम्न निष्पादन के मुद्दे के समाधान के लिए संसद को विश्वास में ले और दिशा को सशक्त बनाने के लिए उपयुक्त कानून लाने पर विचार करे।

6. समिति नोट करती है कि दिशा निगरानी और समन्वय तंत्र के राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दो स्तर हैं। राष्ट्रीय स्तर पर दिशा निगरानी प्रकोष्ठ का गठन एक प्रमुख सलाहकार और पांच सलाहकारों के साथ दिनांक 27 जनवरी 2021 को किया गया है, ताकि दिशा के प्रभावी, समयबद्ध और परिणामोन्मुखी कार्य को सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी प्रकोष्ठ दिशा बैठकों के नियमित संचालन के लिए राज्य नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय करने और दिशा बैठकों में तय की गई कार्रवाई मदों का पालन करने और दिशा प्रणाली के कामकाज पर मंत्रालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अधिदेशित है। तथापि, समिति इस बात से अप्रसन्न है कि राज्य स्तरीय दिशा निगरानी प्रकोष्ठों के लिए विशेषज्ञ व्यक्ति/सलाहकार, जिनमें छोटे राज्यों के लिए एक सलाहकार और बड़े राज्यों के लिए अधिकतम चार सलाहकार होंगे, की नियुक्ति अभी बाकी है। समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह दिशा बैठकों के प्रभावी और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने और सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गहन निगरानी के लिए अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पूरी गंभीरता से राज्य स्तरीय दिशा निगरानी प्रकोष्ठों के गठन में तेजी लाए।

7. समिति यह नोट करती है कि दिशा की बैठकों में केवल कनिष्ठ अधिकारी ही उपस्थित रहते हैं और वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति में अध्यक्षों को केंद्र सरकार की योजनाओं से संबंधित सूचना/आंकड़े/तथ्य/सर्वेक्षण/सांख्यिकी प्रदान नहीं कर पाते हैं। दिशा के दिशानिर्देश जिला स्तर पर कार्यान्वयन विभागों के प्रभारी अधिकारियों की उपस्थिति का प्रावधान करते हैं। दिनांक 3 मार्च, 2021 के अपने पत्र के माध्यम से, मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों से दिशा बैठकों में जिला स्तर पर सभी विभाग के प्रमुखों की पूर्ण उपस्थिति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। 06 मई, 2022 के एक अन्य पत्र में, मंत्रालय ने राज्यों को दिशा की बैठकों में सदस्यों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने की सलाह दी है। पुनः मंत्रालय ने 06 जून, 2022 के अपने पत्र के माध्यम से राज्यों के मुख्य सचिवों से दिशा-निर्देशों के अनुसार दिशा बैठकें सुनिश्चित करने और बैठकों में जिले के सभी विभागों के प्रमुखों की पूर्ण उपस्थिति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। समिति का कहना है कि हालांकि दिशा को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए मंत्रालय विभिन्न उपाय कर रहा है, फिर भी ये उपाय वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अप्रभावी साबित हुए हैं। समिति को विश्वास है कि जैसा कि आश्वासन दिया गया है, मंत्रालय जल्द ही उपस्थिति प्रणाली को डिजिटाइज़ करने और इसे दिशा पोर्टल में रियलटाइम में अपलोड करने के लिए तंत्र विकसित करेगा।समिति यह सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय को जिले के सभी विधायकों, योजना से संबंधित हितधारकों अर्थात जिला पंचायत के सीईओ और जिला पंचायत के अध्यक्ष, ब्लॉक स्तर के प्रधान, उन विभागों/एजेंसियों के प्रतिनिधि जिनकी योजनाओं की दिशा द्वारा समीक्षा की जा रही है, उदाहरण के लिए रेलवे, टेलीकॉम, एनएचएआई, नाबार्ड सहित बैंकों के प्रतिनिधि, साथ ही जिले में मुख्यालय वाले पीएसयू और जिला पुलिस अधीक्षक, कानून और व्यवस्था की स्थिति आदि पर चर्चा की जानी है, की उपस्थिती को सुनिश्चित करना चाहिए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि सुरक्षित लॉग इन क्रेडेंशियल, फेस डिटेक्शन/रिकग्निशन, लाइव जीपीएस लोकेशन की टाइम स्टैम्पिंग आदि जैसी

उन्नत सुविधाओं वाले सॉफ़्टवेयर/ऐप के माध्यम से उपस्थिति प्रणाली को डिजिटाइज़ करने के लिए तंत्र में अब लागू हो। इससे निश्चित रूप से एक स्पष्ट संदेश जाएगा और जिले के अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक रहेगा और यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि दिशा के निर्देशों और दिशा-निर्देशों का अक्षरश: पालन हो।

8. समिति नोट करती है कि राज्य स्तरीय दिशा के अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और सह-अध्यक्ष राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री होते हैं। इसके सदस्य सचिव राज्य में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभारी सचिव हैं। समिति के सदस्यों में लोकसभा के 4 संसद सदस्य, राज्यसभा का 1 संसद सदस्य, 6 विधायक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं के प्रतिनिधि, 4 गैर-सरकारी, 2 गैर- सरकारी संगठन और अधिकारी और पोस्टल सर्कल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल शामिल हैं। सभी संसद सदस्यों, गैर-सरकारी अधिकारियों, गैर-सरकारी संगठनों और केवीआईसी के प्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नामित किया जाता है। यह देखते हुए कि दिशा का उद्देश्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन है, यह आशा की जाती है कि मंत्रालय दिशा के प्रभावी कामकाज के लिए राज्य के क्षेत्र के आधार पर राज्य स्तर पर दिशा में लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाएगा। इसके अलावा, इन राज्य स्तरीय दिशा में संसद सदस्यों को नामित करते समय, ग्रामीण विकास संबंधी संसद की स्थायी समिति और एमपीलैड्स समिति के सदस्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। समिति को आशा है कि मंत्रालय उनके सुझावों की जांच के पश्चात तद्नुसार उचित कार्रवाई करेगा।

9. समिति को पता चला है कि दिशा के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य स्तरीय दिशा की बैठक वर्ष में हर छमाही में एक बार और जिला स्तरीय दिशा की बैठक वर्ष की हर तिमाही में

होनी चाहिए। समिति यह पाती है कि कुछ राज्यों में दिशा का कार्य-निष्पादन अच्छा है जबकि कुछ राज्यों में दिशा का प्रदर्शन खराब रहा है। हालांकि पिछले पांच वर्षों के दौरान केरल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मिजोरम राज्य निर्धारित संख्या की 40 प्रतिशत बैठकें आयोजित करने में सक्षम रहे हैं, केरल 67 प्रतिशत बैठकें आयोजित करके शीर्ष स्थान पर है, तथापि, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली जैसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इसी अवधि के दौरान अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और दिशा बैठकों की निर्धारित संख्या की केवल 6 प्रतिशत बैठकें आयोजित की। यह दिशा के कामकाज पर एक खराब टिप्पणी है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि उपर्युक्त उल्लिखित पांच राज्यों में गत पांच वर्षों के दौरान निर्धारित बैठकों में से 40 प्रतिशत बैठकों को आयोजित किया और केरल ने 67 प्रतिशत बैठक आयोजित की, हालांकि इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि पांच में से चार राज्यों ने कुल निर्धारित बैठकों के 50 प्रतिशत से कम बैठकें आयोजित की हैं, उनके कार्यनिष्पादन को अधिक श्रेय नहीं मिला है। समिति यह चाहती है कि केन्द्र सरकार की योजनाओं/कार्यक्रमों को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समान रूप से कार्यान्वित करने के लिए दिशा के कार्यकरण पर अत्यधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अत: उभरते परिदृश्य में यह राज्य स्तर और जिला स्तर के दिशा से बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की क्षमता पर निर्भर करेगा, जिसके विफल होने पर, समिति को उम्मीद है कि मंत्रालय संसद में उपयुक्त अधिनियम के माध्यम से राज्यों और जिलों पर दिशा दिशानिर्देशों को बाध्यकारी बनाने के लिए कदम उठाएगा। अंतत:, मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना होता है कि भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं पर उपलब्ध संसाधनों का ईष्टतम उपयोग किया जाए और योजनाओं को बिना किसी विलंब के कार्यान्वित किया जाए।

10. समिति ने दिशा को प्रभावी बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों पर ध्यान दिया है जैसे कि दिशा के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है जिससे सदस्य सचिव को निर्धारित अंतराल पर बैठकें आयोजित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाया गया है; राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे राज्य और जिला स्तरों पर बैठकें आयोजित करने पर भरसक ध्यान दें। इसके अलावा, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से दिनांक 06.06.2022 के अपने पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि वे जिला कलेक्टरों/मजिस्ट्रेटों को दिशा बैठकें समय पर आयोजित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें और एपीएआर रिकॉर्डिंग अधिकारियों को नियमित दिशा बैठकें आयोजित करने में उनके कार्य निष्पादन के संबंध में अधिकारियों के एपीएआर पर अपनी टिप्पणियों को शामिल करने की सलाह दी। इसके अलावा, दिशा के सदस्य राज्य के मुख्य सचिव/सक्षम प्राधिकारी को अपनी सिफारिश भेज सकते हैं, जिसे अधिकारी के कार्य निष्पादन के औपचारिक मूल्यांकन के समय ध्यान में रखा जाये। समिति ने यह नोट किया है कि दिशा के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य स्तरीय दिशा, जिसमें सीएम अध्यक्ष और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री सदस्य सचिव के रूप में हैं, जिला स्तरीय दिशा के बीच दक्षता और समन्वय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तथापि, समिति को दिशा को प्रभावी बनाने के लिए किए गए उपायों को लागू करने के संबंध में केन्द्र सरकार की सीमाओं को समझाया जाता है क्योंकि मुख्य सचिव मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं और प्रशासनिक रूप से संबंधित राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दिशा की बैठकें आयोजित करना व्यापक रूप से जनहित में है और इसका केन्द्र सरकार की योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, समिति को विश्वास है कि मंत्रालय द्वारा दिशा के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए बेहतर उपाय किए जाएंगे। इसके अलावा, जिले के भीतर छूट की मांग किए बिना अधिकारियों / हितधारकों द्वारा गैर-उपस्थिति के मामले में, और अध्यक्ष / सह अध्यक्ष, के

निर्देशों के गैर अनुपालन के मामले में सदस्य सचिव अर्थात जिलाधिकारी कड़ी कार्रवाई के लिए इसकी लिखित रिपोर्ट राज्यों के मुख्य सचिवों को दें। इसके अलावा, राज्य सरकारों पर दिशा को सार्थक बनाने हेतु कड़े उपाय करने के लिए दबाव डाला जाना चाहिए। समिति इस बात पर जोर देना चाहती है कि छूट की मांग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही की जानी चाहिए।

11. दिशा के दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रति बैठक 2.0 लाख की समग्र सीमा के भीतर किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा दावा की गई राशि की प्रतिपूर्ति करेगा और बिलों का भुगतान संबंधित राज्य सरकार/जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) (या जिला पंचायत) द्वारा किया जाना चाहिए। समिति ने यह नोट किया है कि दिशा के गैर-सरकारी सदस्य राज्य के समूह 'क' अधिकारियों पर लागू बैठकों में भाग लेने के लिए जिले के भीतर स्थानीय यात्रा के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार हैं। समिति ने यह सिफारिश की है कि गैर-सरकारी सदस्यों को राज्य सरकार की महंगाई भत्ता दर पर महंगाई भत्ता की अनुमति दी जाए, जैसा कि राज्य के समूह 'क' अधिकारियों पर लागू होता है। समिति को यह आशा है कि मंत्रालय दिशा बैठक में भाग लेने वाले गैर-अधिकारियों को टीए/डीए देने का निर्णय लेते समय मौजूदा मुद्रास्फीति के रुझानों को ध्यान में रखेगा। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा जा सकता है।

समिति यह चाहती है कि मंत्रालय बैठकें लगातार दूसरे दिन तक चलने की स्थिति में प्रति बैठक ₹ 2 लाख की मौजूदा सीमा को बढ़ाने के लिए दिशानिर्देशों में आवश्यक संशोधन करने तथा दिशा बैठकें आयोजित करने हेतु मौजूदा वित्तीय सीमाओं की नियमित तौर पर समीक्षा करें।

12. दिशा के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैठक के लिए नोटिस 15 दिन पहले और कार्यसूची बैठक से लगभग 10 दिन पहले परिचालित किया जाना है। की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन बैठक के 30 दिन बाद परिचालित किए जाने की आवश्यकता है। दिशा के सदस्य-सचिव द्वारा

अध्यक्ष के परामर्श से कार्यसूची को अंतिम रूप दिये जाने की उम्मीद है और इसे बैठक से 10 दिन पहले दिशा के सदस्यों को परिचालित किया जाना है। समिति दिशानिर्देशों के स्पष्ट उल्लंघन पर अप्रसन्न है क्योंकि बैठक की कार्यसूची या तो देर से प्राप्त होती है या केवल बैठक के समय उपलब्ध कराई जाती है। समिति को आशा है कि मंत्रालय के दिनांक 27.06.2022 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बैठक नोटिस, कार्यसूची टिप्पणियाँ, बैठकों की कार्यवाही अपलोड करने और की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन के संबंध में दिशा-निर्देशों में निर्धारित कार्य विधियों का कड़ाई से पालन करने के अनुरोध पर आवश्यक ध्यान दिया जाएगा। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि दिशा की सफलता दिशा की बैठकों के संचालन पर निर्भर करती है और दिशा के सदस्यों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त सभी पूर्वापेक्षाएं आवश्यक हैं, समिति की यह इच्छा है कि राज्य अधिकारियों पर दिशा को दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करने हेतु पर्याप्त उपाय करने के लिए ज़ोर डाला जाना चाहिए। इसके अलावा, दिशा के दिशा-निर्देशों के सख्त अनुपालन की देखरेख और विनियमन के लिए इस संबंध में केंद्र में एक उपयुक्त तंत्र विकसित दिये जाने की आवश्यकता है।

13. समिति को यह अवगत कराया गया है कि एक बार दिशा की बैठक होने के बाद, इसकी कार्यवाही 10 दिनों के भीतर और की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन 30 दिनों के भीतर परिचालित की जानी चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह तर्क दिया है कि चूंकि दिशा द्वारा की गई सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जानी है, इसलिए मंत्रालय दिशा की सिफारिशों की अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने में असमर्थ है। दिशा के अभी तक के अप्रभावी कामकाज पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए समिति की यह राय है कि दिशा की सिफारिशों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए केंद्र में भी एक समर्पित तंत्र होना चाहिए ताकि दिशा की स्थापना का उद्देश्य विफल न हो। तथापि, समिति का यह मत है कि बेहतर

समन्वय और समय पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए जिला और राज्य स्तर पर दिशा की बैठकों में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के एक प्रतिनिधि को रोस्टर के आधार पर प्रतिनियुक्त किया जाए।

14. समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि मंत्रालय ने एक हेल्पडेस्क/प्रकोष्ठ की स्थापना की है जो कई चैनलों के माध्यम से दैनिक आधार पर सभी हितधारकों के साथ बातचीत करता है और हितधारकों को दिशा पोर्टल पर बैठकों के विवरण और कार्यवाही अपलोड करने में सहायता करता है। दिशा की बैठकों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए सभी संबंधित जिलों अधिकारियों, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए), सीईओ जिला परिषदों और सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के डीएम का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। दिशा बैठकों के बारे में किसी भी प्रश्न हेतु हितधारकों की सहायता के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर भी प्रकाशित किया गया है और प्रत्येक तिमाही के बाद डीएम / सीईओ की जिला परिषद को स्वचालित अनुस्मारक संदेश भेजे जा रहे हैं, जहां दिशा बैठक के कार्यवाही सारांश अपलोड करना लंबित है। समिति को यह आशा है कि मंत्रालय द्वारा उठाए गए उपायों को यदि सही परिप्रेक्ष्य में कार्यान्वित किया जाता है तो निश्चित रूप से दिशा के कामकाज में सुधार होगा। समिति यह चाहती है कि मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए दिशा या विधिवत नियुक्त उप-समितियां द्वारा क्षेत्र दौरा करने की व्यवहार्यता का भी पता लगाए।

15. समिति ने यह नोट किया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दिल्ली में दिशा परियोजना प्रबंधन इकाई में एक हेल्प डेस्क बनाया है और माननीय संसद सदस्य सहित सभी हितधारक अपने समाधान के लिए दिशा के कामकाज से संबंधित मुद्दों को सूचित करें। तथापि, समिति का यह मानना है कि दिशा यह सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र है कि भारत सरकार

की विभिन्न योजनाओं के लिए लगाए गए संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जा रहा है, इसलिए एक तंत्र की आवश्यकता है जिसके माध्यम से आम आदमी सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन में किसी भी विलंब/अनियमितताओं के मामले में दिशा के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सके। इसलिए, समिति सरकार से इस संबंध में तत्काल आधार पर समुचित कार्रवाई करने की सिफारिश करती है।

16. समिति को यह सूचित किया गया है कि माननीय संसद सदस्यों के लिए दिनांक 3 दिसंबर, 2019 को एक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया था ताकि उन्हें दिशा के उद्देश्यों, कामकाज और प्रासंगिकता के बारे में शिक्षित किया जा सके। इस संबंध में समिति यह चाहती है कि संसद सदस्यों/विधायकों, राज्य और जिला स्तर के दिशा के पीआरआई के प्रतिनिधियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम/सेमिनार/सम्मेलन आदि नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाएं ताकि दिशा के कामकाज और महत्व के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके और उनका पूर्ण सहयोग और भागीदारी प्राप्त की जा सके। यह स्मरण करते हुए दिशा के दिशा-निर्देशों के पैरा 7 और 10 में यह उल्लेख किया गया है कि जिला दिशा के सदस्य सचिव दिशा की बैठकें आयोजित करने के साथ-साथ दिशा की सिफारिश पर समय पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार हैं, समिति की आगे यह इच्छा है कि राज्य और जिला स्तर के दिशा के सदस्य सचिवों के लिए समय-समय पर अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

17. समिति इस बात से अवगत है कि दिशा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त निधियों की शिकायतों/कथित अनियमितताओं/दुर्विनियोजन की जांच करती है और अनुवर्ती कार्रवाई की सिफारिश भी करती है। इस संदर्भ में, दिशा किसी भी मामले को जांच के लिए जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/परियोजना निदेशक के पास भेज सकती है, जिस पर उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी और 30 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को ऐसे मामलों में

निधियों को रोकने पर विचार करना चाहिए जहां कार्यक्रम निधियों के अनुचित उपयोग के संबंध में ठोस साक्ष्य पाए जाते हैं, जब तक कि स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती है। यदि यह मंत्रालय की संतुष्टि के अनुरूप नहीं है, तो उस स्थिति में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, का सतत् आधार पर अनुसरण किया जाना चाहिए क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा सुधारात्मक/दण्डात्मक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। समिति यह चाहती है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय दिशा के दिशा-निर्देशों में समुचित संशोधन के लिए इस मामले की नए सिरे से जांच करे।

18. समिति को विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दिशा के सुचारू कार्यकरण के रास्ते में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों से अवगत कराया जाता है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैठक की तारीख बताने में विलंब, बैठकों को स्थगित करना, बैठकों में भाग लेने में अध्यक्ष की असमर्थता, सदस्य सचिव की व्यस्तता, दिशा की बैठकों में लिए गए निर्णय पर उचित अनुवर्ती कार्रवाई का अभाव और राज्य सरकारों के दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में सीमा शामिल है। समिति की यह इच्छा है कि विभाग को दिशा-निर्देशों में उपयुक्त उपचारात्मक उपाय/संशोधन करके इन कठिनाइयों को हल करने/दूर करने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए ताकि दिशा का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

19. समिति को यह पता चला है कि आम चुनाव, राज्य विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव आदि जैसे चुनावों के कारण दिशा की बैठकें हमेशा स्थगित कर दी जाती हैं क्योंकि यह आदर्श आचार संहिता को आकर्षित करती है। मंत्रालय ने दिनांक 06 मई, 2022 के अपने हालिया पत्र में विधानसभाओं के सत्रों के दौरान दिशा की बैठकों से बचने के लिए एक परामर्श जारी किया है; तथापि, राज्यों/जिलों को दिशा-निर्देशों के अनुसार त्रैमासिक बैठकें निर्धारित करने की

आवश्यकता है। समिति ने यह नोट किया है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने पर मंत्रालय ने दिशा की बैठकों के संबंध में राज्यों को अब तक कोई परामर्श जारी नहीं किया है। मंत्रालय इस मामले में बहुत जल्द भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोगों के साथ परामर्श करने पर विचार कर रहा है। समिति का यह ठोस मत है कि इस तरह की परामर्श शुरुआती स्तर पर दिशा का हिस्सा होना चाहिए था। विभिन्न सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में दिशा की भूमिका को स्वीकार करते हुए समिति का यह मानना है कि अब समय आ गया है कि दिशा को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आम चुनावों और राज्य विधानसभा चुनावों को छोड़कर, क्योंकि संसद सदस्य और विधायक दिशा समितियों के पदाधिकारी हैं, आवश्यक एड्वाइजरी जारी की जाए। समिति आगे इस बात पर जोर देती है कि चूंकि दिशा की बैठकें परियोजनाओं और योजनाओं आदि की निगरानी के लिए होती हैं, इसलिए यह अनिवार्य है कि कम से कम आम चुनावों और राज्य विधानसभा चुनावों से नीचे के चुनावों के दौरान उनके कामकाज में बाधा न आए।

20. समिति यह मानती है कि दिशा कई सरकारी विभागों के लिए अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन में समन्वय और तालमेल लाने के लिए एक अनूठा और उत्कृष्ट मंच है। यह न केवल विभागों की समन्वित कार्रवाई को संस्थागत बनाता है बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी के साथ भी ऐसा करता है। तथापि, समिति ने देखा है कि विभाग दिशा के गठन और कार्यकरण के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए कोई प्रचार अभियान नहीं चलाता है। चूंकि विभिन्न कार्यक्रमों के तहत राज्यों और जिलों को निधियाँ जारी करने की स्थिति आम जनता की जानकारी के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशा डैशबोर्ड पर अपलोड की जाती है, इसलिए समिति को यह आवश्यक लगता है कि आम जनता को दिशा की भूमिका और कामकाज के बारे में जागरूक करने के लिए विभाग के प्रचार अभियान के माध्यम से पर्याप्त प्रचार दिया जाए।

21. समिति यह नोट करके निराश है कि परियोजना निदेशक के रूप में खंड विकास अधिकारी स्तर का कोई अलग नोडल अधिकारी/नामित कर्मचारी नहीं है और राज्य सरकार स्तर पर दिशा के कार्यालय के लिए तकनीकी/व्यावसायिक रूप से मजबूत सहायक स्टाफ भी नहीं है। समिति को यह आशंका है कि दिशा के कार्यालय में नोडल अधिकारी/नामित कर्मचारियों की अनुपस्थिति दिशा के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैठकें बुलाने और अनुवर्ती कार्रवाई करने के दिशा बहुत खराब कार्य निष्पादन हेतु विभिन्न कारणों में से एक है। दिशा के कार्यकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक के रूप में अपेक्षित मानव संसाधन की कमी को ध्यान में रखते हुए, समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को शीघ्रातिशीघ्र राज्य सरकारों के परामर्श से परामर्शदाताओं/संविदात्मक कर्मचारियों की नियुक्ति की संभावना का पता लगाना चाहिए।

नई दिल्ली;
14 दिसम्बर, 2022
23 अग्रहायण, 1944 (शक)

गिरीश भालचन्द्र बापट
सभापति
प्राक्कलन समिति

प्राक्कलन समिति (2021-22) की दूसरी बैठक के कार्यवाही सारांश

समिति ने मंगलवार, 13 जुलाई, 2021 को 1130 बजे से 1420 बजे तक समिति कक्ष 'C', संसद भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में बैठक की।

उपस्थित

श्री गिरीश भालचंद्र बापट - अध्यक्ष

सदस्य

2. कुंवर दानिश अली
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री सुदर्शन भगत
5. श्री पी. पी. चौधरी
6. श्री पी. सी. गद्दीगौदर
7. श्री दयानिधि मारन
8. श्री विनायक भाउराव राउत
9. श्री अशोक कुमार रावत
10. श्री मागुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी
11. श्री राजीव प्रताप रूडी
12. श्री दिलीप साईंकिया
13. श्री फ्रांसिस्को सरदीन्हा

सचिवालय

1. श्रीमती ज्योचनमयी सिन्हा - निदेशक
2. श्रीमती ए. ज्योथिर्मायी - अपर निदेशक
3. श्री आर. एस. नेगी - उप सचिव

साक्षी

सी.संख्या	नाम	पदनाम
1.	श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा	सचिव, ग्रामीण विकास
2.	डॉ. एन. श्रीनिवास राव	आर्थिक सलाहकार
3.	श्री गया प्रसाद	डीडीजी (आरएच)

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक के कार्यसूचि यानी "विभिन्न योजनाओं में दिशा समिति की भूमिका और प्रदर्शन की समीक्षा" विषय पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साक्ष्य की जानकारी दी । उन्होंने तब निर्देश दिया कि उत्तर ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों को बुलाया जाये ।

3. सभापति ने मंत्रालय के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के सम्बन्ध में अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देशों के निर्देश 55 (i) की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया और फिर सचिव, डोनर मंत्रालय को अपना परिचय देने को कहा।

4. तत्पश्चात, मंत्रालय ने इस विषय के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए एक संक्षिप्त पॉवर-पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया जिस में दिशा समितियों के उद्देश्य, संरचना, शक्तियां, दिशा समितियों के अंतर्गत आने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं का विवरण, दिशा समिति की बैठकों का राज्यवार विवरण, दिशा समिति का प्रदर्शन, दिशा डैशबोर्ड, आगे की चुनौतियाँ, आदि।

5. फिर सदस्यों ने इस विषय पर विभिन्न प्रश्न उठाए जैसे कि विभिन्न राज्यों/जिलों में दिशा समिति की अपेक्षित संख्या में बैठकें आयोजित करने में विफलता, दिशा समिति के अध्यक्ष को केवल कागजों पर बजाय वास्तविक अवधि में अधिक शक्ति देने के लिए, जिला स्तरीय अधिकारियों की जवाबदेही, दिशा समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए जिला कलेक्टर जैसे जिला स्तरीय अधिकारियों की अनिच्छा, केंद्रीय स्तर के अधिकारियों की कम उपस्थिति, दिशा समिति के अध्यक्ष या जिला कलेक्टर के अधिकार को परिभाषित न करना,

केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर तीन स्तरीय दिशा समिति की आवश्यकता, जिलों में दिशा समिति या उसके अध्यक्ष के नामित कर्मचारियों और कार्यालय का कोई प्रावधान नहीं, केंद्र में दिशा के लिए शिकायत प्रकोष्ठ की कमी, दिशा डैशबोर्ड के प्रति जागरूकता की कमी, दिशा बैठकों के लिए की गई कार्रवाई रिपोर्ट / कार्यवृत्त का देर से संचलन, दिशा समिति में सांसदों का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इश्यू, चुनाव के दौरान बैठक बुलाने के लिए आदर्श आचार संहिता में बदलाव से संबंधित मुद्दे, दिशा समिति की बैठकों के दौरान चर्चा किए जाने वाले विषयों के लिए समय के आवंटन की प्रक्रिया, दिशा दिशानिर्देशों के प्रावधान को बाध्यकारी बनाने के लिए कानून लाने की व्यवहार्यता की जांच करना, संबंधित योजनाओं को मिलाकर दिशा के तहत योजनाओं के दो समूह बनाने और तदनुसार बैठकें बुलाने की आवश्यकता है सार्थक और परिणामोन्मुखी चर्चा करने के लिए, आदि।

6. मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने सदस्यों द्वारा उठाये गए प्रश्नों का जवाब दिया. सभापति ने मंत्रालय के प्रतिनिधियों को दो सप्ताह के भीतर उन बिंदुओं पर लिखित उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा, जिनके बारे में जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं थी।

7. समिति की बैठक की शब्दश कार्यवाही को रिकॉर्ड में रखा गया है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हो गयी।

[खंडन: हिंदी संस्करण में किसी संदेश/ व्याख्या की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को प्रामाणिक माना जाना चाहिए]

प्राक्कलन समिति (2022-23) की तीसरा बैठक के कार्यवाही सारांश

समिति ने बुधवार, 22 जून, 2022 को 1157 बजे से 1330 बजे तक समिति कक्ष 'D', संसद भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में बैठक की।

उपस्थित

श्री गिरीश भालचंद्र बापट - अध्यक्ष

सदस्य

2. कुंवर दानिश अली
3 श्री श्याम सिंह यादव
4. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर
5. श्री पी. पी. चौधरी
6. श्री निहाल चंद चौहान
7. श्री जुगल किशोर शर्मा
8. श्री कमलेश पासवान
9. श्री अशोक कुमार रावत
10. डॉ. के.सी. पटेल
11. श्री राजीव प्रताप रूडी
12. श्री फ्रांसिस्को सरदीन्हा

सचिवालय

1. श्रीमती अनीता पांडा - अपर सचिव
2. श्रीमती गीता परमार - अपर निदेशक

साक्षी

सी.संख्या	नाम		पदनाम
1.	श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा	-	सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय
2.	सुश्री कल्याणी मिश्रा	-	आर्थिक सलाहकार

3. श्री परवीन महतो सीईए

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक के कार्यसूचि यानी “विभिन्न योजनाओं में दिशा समिति की भूमिका और प्रदर्शन की समीक्षा” विषय पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साक्ष्य की जानकारी दी। विभिन्न योजनाओं में' समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के बारे में 'लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश' के निदेश 55(1) की ओर भी उनका ध्यान आकृष्ट किया गया।

3. तत्पश्चात, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव ने दिशा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी, कि कैसे दिशा ग्राम स्तर तक विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी, जिला स्तर पर दिशा की संरचना, अध्यक्ष के चयन के लिए मानदंड, दिशा समिति को सौंपे गए अधिकार जैसे निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों/योजनाओं को लागू करना और अधिक प्रभाव के लिए तालमेल और अभिसरण को बढ़ावा देना, केंद्र और राज्य से धन के प्रवाह की समीक्षा करना, दिशा निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए की गई पहल जैसे कि राज्य स्तरीय दिशा समितियां, राज्य की तैनाती आर्ट दिशा डैशबोर्ड, मीटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, तेज संचार आदि के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि

4. समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने दिशा समितियों को वैधानिक दर्जा देने के लिए कानून लाने की व्यवहार्यता से संबंधित मुद्दों पर कई सवाल उठाए, क्या दिशा लाभ के पद के तहत आएगी, बार-बार चुनाव होने से दिशा बैठकों के कामकाज पर असर पड़ रहा है, दिशा के लिए कर्मचारियों का प्रावधान समिति, राज्य स्तरीय दिशा समितियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदम, दिशा की कम बैठकें आयोजित करने के कारण, दिशा के तहत और योजनाओं को जोड़ने की संभावना, बैठकों में राज्य सरकारों के अधिकारियों की भागीदारी, दिशा की बैठकों पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, उनकी उपस्थिति का विवरण , उठाए गए मामले, सुलझाए गए मामले आदि।

5. मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दिया। अध्यक्ष ने मंत्रालय के प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया और उनसे दो सप्ताह के भीतर उन बिंदुओं पर लिखित उत्तर प्रस्तुत करने को कहा, जिनके लिए जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं थी।

6. इसके बाद गवाह पीछे हट गई।

7. समिति की बैठक की शब्दश कार्यवाही को रिकॉर्ड में रखा गया है।

<u>तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हो गयी।</u>

[खंडन: हिंदी संस्करण में किसी संदेश/ व्याख्या की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को प्रामाणिक माना जाना चाहिए]

प्राक्कलन समिति (2022-23) की तेरहवीं बैठक के कार्यवाही सारांश

समिति ने बुधवार, 14 दिसंबर, 2022 को 1500 बजे से 1600 बजे तक कक्ष नंबर '52-B', प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में बैठक की।

उपस्थित

श्री निहाल चंद चौहान – संयोजक

2. कुँवर दनिश अली
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री सुदर्शन भगत
5. श्री पी. पी. चौधरी
6. डॉ. संजय जायसवाल
7. श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंदरिया
8. श्री के. मुरलीधरन
9. श्री कमलेश पासवान
10. श्री अशोक कुमार रावत
11. श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी
12. श्री राजीव प्रताप रुडी
13. श्री प्रताप सिम्हा
14. श्री परवेश साहिब सिंह
15. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
16. श्री श्याम सिंह यादव
17. श्री दिलीप शइकीया

सचिवालय

1. श्रीमती अनीता बी. पांडा - संयुक्त सचिव
2. श्री मुरलीधरन. पी - निदेशक

2. सर्वप्रथम, संयोजक ने सदस्यों का समिति की बैठक में स्वागत किया और उन्हें समिति की कार्यसूची. इसके बाद समिति ने निम्नलिखित तीन मसौदा प्रतिवेदनों पर विचार किया और उन्हें अपनाया:

(i) Xxx xxx

(ii) 'विभिन्न योजनाओं में दिशा समिति की भूमिका और प्रदर्शन की समीक्षा 'और

(iii) Xxx xxx

3. कुछ सदस्यों ने 19वीं मसौदा प्रतिवेदन विषयक विभिन्न योजनाओं में दिशा समिति की भूमिका और प्रदर्शन की समीक्षा पर अपने सुझाव दिए। समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद मसौदा प्रतिवेदनों को अपनाया। तत्पश्चात् समिति ने अध्यक्ष को संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त तथ्यात्मक सत्यापन के आधार पर प्रारूप प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उसे लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया।

इसके बाद समिति स्थगित हो गई।

[खंडन: हिंदी संस्करण में किसी संदेश/ व्याख्या की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को प्रामाणिक माना जाना चाहिए]